A

IN THE COURT OF Munesh chand Yadav
Present Addl. Dist. & Sessions Judge No. 1, Rajgarh (Churu)
[Date of the Judgment- 29.08.2025]
[Case No- 8/2021]
CNR- RJCH060000862021
(FIR No. 308/2020, PS Rajgarh Dist. Churu)

Complainant	राजस्थान राज्य
PRESENTED BY	श्री सुनील जांगिड अपर लोक अभियोजक श्री कपिल जागलान अधिवक्ता वास्ते परिवादी
ACCUSED	1— **विक्रम सिंह** पुत्र महेन्द्र सिंह उम्र 23 साल निवासी सुरतपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू 2— **राहुल उर्फ शुभम** पुत्र शंकरलाल उम्र 29 साल निवासी नावलाई पोस्ट(**मफरूर**) भागरीयावास पुलिस थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान 3— **मुकेश कुमार** पुत्र गिरधारी लाल उम्र 27 साल निवासी पापडा पुलिस थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू राजस्थान(**मफरूर**) 4— **वीरसिंह उर्फ बंटी** पुत्र सुमेरसिंह उम्र 36 साल निवासी 3/222 वार्ड न0 4 हाउसिंग कोलोनी सुरतगढ जिला श्री गंगानगर राजस्थान
REPRESENTED BY	श्री चरणसिंह पूनियां व श्री विमल शर्मा अधिवक्तागण

B

Date of Offence	24-09-2020
Date of FIR	05-10-2020
Date of Chargesheet	31-12-2020
Date of Framing of Charges	19-07-2024
Date of commencement of evidence	11-11-2024

Date on which judgment is reserved	23-07-2025
Date of the Judgement	29-08-2025
Date of the Sentencing Order, if any	Yes, (29-08-2025)

C: ACCUSED DETAILS

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of release on bail	Offences charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of Section 428 Cr. PC
1	विक्रम सिंह	6-10-2020	04-02-21	343 IPC	**Convicted**	01 Years imprisonment with fine 10,000/-	
				376(डी) IPC		Lifetime imprisonment with fine 1,00,000	
2	वीरसिंह उर्फ बंटी	8-11-2020	20-03-21	343 IPC	**Convicted**	01 Years imprisonment with fine 10,000/-	
				376(डी) IPC		Lifetime imprisonment with fine 1,00,000	

PART-II
LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
PW. 1	राहुल	घटना बाबत
PW. 2	डा0 प्रवेश कुमारी	मैडीकल मुआयना
PW. 3	डा0 महीपाल सिंह	मैडीकल मुआयना
PW. 4	डा0 पंकज कुमार पूनिया	मैडीकल मुआयना

PW. 5	पवन कुमार	फर्द गिरफतारी
PW. 6	सिकन्दर	कैरियर
PW. 7	ए	पीडिता
PW. 8	राजेश	घटना बाबत
PW. 9	अनिता	अनुसंधान बाबत
PW. 10	रतनलाल	घटना बाबत
PW. 11	कृष्ण कुमार	घटना बाबत
PW.12	गुर भूपेन्द्र सिंह	एफ आई आर बाबत
PW.13	सुभाष चन्द्र	गिरफतारी बाबत
PW.14	सज्जन सिंह	बरामदगी बाबत
PW.15	मनोज कुमार	मालखाना इन्चार्ज
PW.16	प्रहलाद सिंह	घटना बाबत
PW.17	चम्पालाल	निरीक्षण घटनास्थल
PW.18	रामप्रताप	अनुसंधान अधिकारी
PW.19	पंकज गढवाल	शिनाख्तगी परेड बाबत

B. Defence Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
---	Nil	---

C. Court Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
---	Nil	---

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	Exhibit P-1	पुलिस बयान राहुल
2	Exhibit P-2	तहरीर
3	Exhibit P-3	मैडीकल मुआयना रिपोर्ट

4	Exhibit P-4	तहरीर
5	Exhibit P-5	मैडीकल मुआयना रिपोर्ट
6	Exhibit P-6	तहरीर
7	Exhibit P-7	मैडीकल मुआयना रिपोर्ट
8	Exhibit P-8	मैडीकल मुआयना रिपोर्ट
9	Exhibit P-9	तहरीर
10	Exhibit P-10	ब्लड रिपोर्ट बाबत
11	Exhibit P-11	फर्द गिरफतारी राहुल उर्फ शुभम
12	Exhibit P-12	फर्द गिरफतारी मुकेश कुमार
13	Exhibit P-13	फर्द जब्ती मोटरसाईकिल
14	Exhibit P-14, 14A	नक्शा मय हालात मौका
15	Exhibit P-15	फर्द जब्ती कैमरा रिकार्डिग
16	Exhibit P-16	एफ एस एल को चिटठी
17	Exhibit P-17	प्राप्ति रसीद
18	Exhibit P-18 to 23	राजनामचा रपट
19	Exhibit P-24	लिखित रिपोर्ट
20	Exhibit P-25	चाक एफ आई आर
21	Exhibit P-26, 26A	नक्शा मय हालात मौका
22	Exhibit P-27	फर्द जब्ती वजह सबूत
23	Exhibit P-28,28A	नक्शा मय हालात मौका
24	Exhibit P-29	फर्द जब्ती वजह सबूत
25	Exhibit P-30	फर्द जब्ती वजह सबूत
26	Exhibit P-31	फर्द जब्ती वजह सबूत
27	Exhibit P-32	बयान धारा 164 सीआर पीसी
28	Exhibit P-33	पुलिस बयान राजेश
29	Exhibit P-34	नोटिस 133 एम वी एक्ट
30	Exhibit P-35	नोटिस 134 एम वी एक्ट
31	Exhibit P-36	पुलिस बयान पीडिता
32	Exhibit P-37	मैडीकल जांच पीडिता
33	Exhibit P-38 to 40	शिनाख्तगी परेड
34	Exhibit P-41	फर्द गिरफतारी वीरसिंह
35	Exhibit P-42	फर्द जब्ती मोबाईल
36	Exhibit P-43	फर्द जब्ती आर सी
37	Exhibit P-44	मालखाना रजिस्टर
38	Exhibit P-45	घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट
39	Exhibit P-46	फोटो घटनास्थल
40	Exhibit P-47	फोटो घटनास्थल
41	Exhibit P-48	फोटो घटनास्थल
42	Exhibit P-49	फोटो घटनास्थल

43	Exhibit P-50	फोटो घटनास्थल
44	Exhibit P-51	फोटो घटनास्थल
45	Exhibit P-52	फोटो घटनास्थल
46	Exhibit P-53	फोटो घटनास्थल
47	Exhibit P-54	एफ एस एल का पत्र
48	Exhibit P-55	धारा 65 बी का प्रमाण पत्र
49	Exhibit P-56	
50	Exhibit P-57	
51	Exhibit P-58	पत्र
52	Exhibit P-59	पत्र
53	Exhibit P-60	फर्द गिरफतारी विक्रम सिंह
54	Exhibit P-61	फर्द जब्ती मोबाईल
55	Exhibit P-62	फर्द इतिला
56	Exhibit P-63	तथ्यात्मक रिपोर्ट
57	Exhibit P-64	फर्द अहकाम
58	Exhibit P-65	पत्र
59	Exhibit P-66	तथ्यात्मक रिपोर्ट
60	Exhibit P-67	शनाख्तगी परेड
61	Exhibit P-68	शनाख्तगी परेड
62	Exhibit P-69	शनाख्तगी परेड
63	Exhibit P-70	सीडी
64	Exhibit P-71	तथ्यात्मक रिपोर्ट
65	Exhibit P-72	तथ्यात्मक रिपोर्ट
66	Exhibit P-73	पत्र
67	Exhibit P-74	एफ एस एल रिपोर्ट
68	Exhibit P-75	तथ्यात्मक रिपोर्ट
69	Exhibit P-76	गुमशुदगी रिपोर्ट
70	Exhibit P-77	पंजीकृत गुमशुदगी
71	Exhibit P-78	फर्द नमूना सील
72	Exhibit P-79	फर्द नमूना सील
73	Exhibit P-80	नमूना सील
74	Exhibit P-81	नमूना सील

B. Defence:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	Exhibit D-1	पुलिस बयान पीडिता
2	Exhibit D-2	सुपुर्दगी पीडिता
3	Exhibit D-3	पत्र
4	Exhibit D-4	पुलिस बयान कृष्ण कुमार
5	Exhibit D-5	पुलिस बयान कृष्ण कुमार

C. Court Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description

----	Nil	---

D. Material Objects:

Sr. No.	Material Object Number	Description
1	MO 1	निल
2	MO2	मोबाईल फोन
3	MO3	मोबाईल फोन
4	MO4	बैडसीट
5	MO5	तोलिया
6	MO6	अण्डरवियर
7	MO7	अण्डर वियर
8	MO8	अण्डर वियर
9	MO9	अण्डर वियर
10	MO10	अण्डर वियर
11	MO11	अण्डर वियर
12	MO12	बाल

— <u>निर्णय</u> — दिनांक— **29.08.2025**

1— संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 5.10.2020 को परिवादिया अ ने पुलिस थाना राजगढ में रिपोर्ट दी कि वह अपने माता पिता के साथ पिलानी रहती है और अपने दादा दादी के पास नवा आई हुई थी। दिनांक 24.9.2020 को वह एम एस सी का फार्म भरने के लिए अपने गांव नवा से राजगढ बस स्टैण्ड पर आई तो करीब 1 बजे दोपहर उसे विक्रम पूनियां मिला जो करीब पांच साल पूर्व उसे कोटा में मिला था। वह खेल प्रतियोगिता में गई थी और उक्त विक्रम पूनियां भी खेल प्रतियोगिता में गया था तब उसने अपने आपको राजगढ का होना बताया था जिससे उसका परिचय हुआ! विक्रम ने उससे पूछा कि राजगढ कैसे आई तो उसने कहा कि वह एम एस सी का फार्म भरने आई है तो उसने कहा कि उसके साथ चलो वह सारा काम करवा देगा। उसने विक्रम पर विश्वास कर लिया । विक्रम पूनियां ने बस स्टैण्ड राजगढ पर एक कार बुलाई और उसे उस कार में बैठाया जिसमें विक्रम के अलावा तीन लडके ओर थे जिनमें से एक का नाम देवेन्द्र पूनियां कहकर पुकार रहे थे। उक्त तीनो को वह शक्ल से पहचान सकती है। उक्त चारों उसे राजगढ में ही एक मकान में ले गये । जहां उसने विक्रम को कहा कि उसे यहां क्यों लाये हो तो उक्त चारों उसे उस मकान में बने कमरे में ले गये और कमरा बंद कर उक्त चारों ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, इन लोगों ने जबरदस्ती उसकी विडियो फिल्म बनाई व फोटो खेंची और उसे डराया धमकाया कि अगर हल्ला किया तो वे लोग उसे व उसके परिवार वालों को जान से मार देंगे। उक्त चारों ने उसे जबरदस्ती कुछ पिलाकर बेहोश कर दिया । रात को उसे होश आया तब उसके पास पांच

लडके थे जो आपस में बन्टी, राहुल, शुभम, हेमन्त, मुकेश गुर्जर के नाम से पुकार रहे थे। उक्त पांचो को वह शक्ल से पहचान सकती है। उसने उनसे कहा कि उसे यहां क्यों लाये हो और वह घर जाना चाहती है आप कौन हो तो इन लडकों ने बताया कि विक्रम पूनियां उसे उनको सौंपकर गया है। उन्होने उसे बताया कि वह जयपुर में शिवा प्लेस होटल में है। उक्त पांचो लडकों ने उक्त होटल में उसे कोल्ड ड्रिक्स में नशीली चीज पिलाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया । अगले दिन उसे होश आया तो उसके पास मुकेश गुर्जर नाम का लडका था जो एक सप्ताह तक उसे डरा धमकाकर नशा देकर बलात्कार करता रहा और मुकेश ने उसे धमकी दी कि उसके पास उसकी विडियो फिल्म व फोटो है जिसे वह मोबाईल पर डालकर बदनाम कर देगा। उसे पता चला कि वह एक सप्ताह से नीम का थाना के पास के एक गांव में है। दिनांक 1.10.2020 को पुलिस ने उसे मुकेश गुर्जर से छुडवाया और हमीरवास थाना लाकर उसके परिवारजनो को सौंप दिया । उक्त लडकों ने उसे धमकी दी कि अगर उनके खिलाफ कार्यवाही की तो वे लोग उसकी विडियो फिल्म व फोटो सार्वजनिक कर बदनाम कर देंगे । उसे व उसके परिवार को खत्म कर कर देने की धमकियां भी दी। वह बदनाम की डर से भयभीत थी व उन लोगों ने उसको व उसके परिवार को खत्म कर देने की धमकियां भी दी थी। अब वह हिम्मत करके मुकदमा दर्ज करवाने आई है। विक्रम पूनियां, देवेन्द्र पूनियां, बंटी, राहुल, शुभम, हेमंत, मुकेश गुर्जर व दो अन्य लडकों को वह शक्ल से पहचान सकती है। उक्त सभी लडकों ने उसका अपहरण कर षडयंत्र पूर्वक उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है और लगातार उसे विडियो फिल्म फोटो सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लेकमेल किया है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जावे।

2— उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना राजगढ में एफआईआर सं. 308/2020 दर्ज की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त विक्रम सिंह, राहुल शर्मा, मुकेश कुमार गुर्जर, वीरसिंह उर्फ बंटी के विरूद्ध धारा 343, 376(डी) भा0दं0सं0 में आरोप पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया, जो बाद प्रसंज्ञान उपार्पित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। दौराने विचारण बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण विक्रम सिंह, राहुल शर्मा व वीरसिंह उर्फ बंटी को अपराध धारा 343, 376(डी) भा0दं0सं0 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। इसी दौरान अभियुक्त मुकेश कुमार के अनुपस्थित हो जाने से उसे दिनांक 19.10.2024 को मफरूर घोषित किया गया है। तत्पश्चात राहुल उर्फ शुभम मफरूर अनुपस्थित हो गया जिसे मफरूर घोषित किया गया।

3— अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में उपरोक्ता तालिका में वर्णित अनुसार 19 गवाहान के बयान करवाये व दस्तावेजी साक्ष्य में 81 दस्तावेजात को प्रदर्शाकित करवाया गया। अभियुक्तगण विक्रम सिंह, राहुल शर्मा व वीरसिंह उर्फ बंटी को धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित किया गया, तो उन्होंने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए साक्ष्य

सफाई पेश नहीं करना चाहा। उल्लेखनीय है कि इस मामले में अभियुक्त मुकेश व राहुल शर्मा मफरूर हैं इसलिए यह निर्णय अभियुक्तगण विक्रम सिंह व वीरसिंह उर्फ बंटी की हद तक पारित किया जा रहा है।

4— अभियुक्तगण विक्रम सिंह व वीरसिंह उर्फ बंटी की हद तक बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अपर लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादिया ने बहस के दौरान तर्क दिया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा पीडिता को उसका काम करवाने के बहाने गाडी में बैठाकर उसका अपहरण कर ले जाना और मकान राजगढ, शिव प्लेस होटल, जयपुर व नीम का थाना के पास किसी गांव में पीडिता को तीन या अधिक दिनो के लिए निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर उसका सदोष परिरोध किया जाना और अभियुक्तगण द्वारा आपस में मिलकर पीडिता को डरा धमकाकर, उसकी विडियो फिल्म व फोटो दिखा देने की धमकी देकर, उसे जबरदस्ती नशीला पदार्थ खिलाकर/पिलाकर इच्छा व सम्मति के बिना उसके साथ जबरन सामूहिक बलात्संग किया जाना भलीभांति साबित हो रहा है। गवाहान के कथनो में किसी प्रकार का कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि हालांकि डाक्टरी रिपोर्ट में पीडिता के शरीर पर कोई चोट आदि के निशान नहीं पाया जाना अंकित किया गया है परन्तु पीडिता का मुआयना घटना के काफी समय बाद करवाया गया है जिस कारण उसके मौखिक कथनो से अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किया जाना भलीभांति साबित हो रहा है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जावे। पनी बहस के समर्थन में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये—

Criminal@sPECIAL Leave Petition(Cri.) No 17398/2024 Raju@Umakant Vs The State of Madhyapradesh

5— जिसके विरोध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस के दौरान तर्क दिया कि प्रकरण में एफ आई आर ग्यारह दिन की देरी से दर्ज करवाई गई है और उसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण भी अभियोजन ने नहीं दिया है। पीडिता का अभियुक्तगण द्वारा कोई अपहरण नहीं किया गया है बल्कि वह अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ गई है। पीडिता ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि छीना झपटी में न तो उसके कपडे फटे और उसके कोई चोट आदि नहीं आई थी इस तथ्य की पुष्टि स्वंय पीडिता के इस बयान से हो रही है क्योंकि उसने प्रदर्श 1 पुलिस बयान राहुल सैनी उर्फ रितु के कथनो को सही होना स्वीकार किया है जिससे यही साबित हो रहा है कि पीडिता एक सहमत पक्षकार रही है। पीडिता के बयानो में महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर तात्विक विरोधभास है। अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है इसलिए उन्हें दोषमुक्त किया जावे। अपनी बहस के समर्थन में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये—

2024(3) CJ(Cri)(Raj) 1254 Kanhayalal vs State of Rajasthan

2024 Cr. L. R (Raj) 763 Bhanwar singh vs State of Rajasthan

6— मेरे द्वारा उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तर्कों, तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है कि—

1. आया अभियुक्तगण ने दिनांक 24.9.2020 को दिन में दोपहर एक बजे के पश्चात किसी समय वाके स्थान मकान राजगढ, शिव प्लेस होटल, जयपुर व नीम का थाना के पास किसी गांव में पीडिता A को तीन या अधिक दिनो के लिए निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर उसका सदोष परिरोध किया और अभियुक्तगण ने आपस में मिलकर पीडिता A को डरा धमकाकर, उसकी विडियो फिल्म व फोटो दिखा देने की धमकी देकर, उसे जबरदस्ती नशीला पदार्थ खिलाकर/पिलाकर इच्छा व सम्मति के बिना उसके साथ जबरन सामूहिक बलात्संग किया?

2. यदि हां तो अभियुक्त की उपयुक्त सजा क्या होगी ?

7— इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से **कुल 19 गवाहान** को साक्ष्य में परीक्षित करवाया गया है। इन समस्त अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य का परिशीलन करने से प्रकरण में **पीडिता पीडब्लू 7 अ का बयान है कि** वह गांव नवां की रहने वाली है तथा उसके माता—पिता पिलानी मे रहते थे। जिनके साथ वह पिलानी रहने लगी। उसके दादा व दादी गांव मे रहते हैं। वह अपने दादा दादी के पास नवां आई हुई थी। दिनांक 24.09.2020 को वह अपने गांव नवां से राजगढ एसएससी का फार्म भरवाने के लिए बस से राजगढ आई थी। वह राजगढ बस स्टेण्ड पर दोपहर करीब एक बजे पहुंची थी। उसे बस स्टेण्ड पर विक्रम पूनियां मिला। विक्रम पूनियां उससे से पांच साल पहले कोटा मे मिला था। वह कोटा मे खेलकूद प्रतियोगिता मे गई हुई थी। विक्रम पूनियां भी उसी समय खेलकूद प्रतियोगिता मे कोटा गया हुआ था। विक्रम पूनियां ने उसे बताया कि वह भी राजगढ से आया है। इस कारण उसका उनसे परिचय हुआ था। विक्रम पूनियां ने उससे पूछा कि राजगढ क्यूं आई है तब उसने कहा कि एसएससी का फार्म भरवाने के लिए आई हूं। विक्रम पूनियां ने उसे कहा कि उसका पूरा काम वह करवा देगा तब उसने विक्रम पूनियां पर विश्वास कर लिया। फिर विक्रम ने राजगढ बस स्टेण्ड पर कार बुलवाई थी। कार मे उसे बैठाया। जिस कार मे उसने विक्रम ने बैठाया उस कार मे विक्रम के अलावा तीन लडके और थे। उनमे एक का नाम देवेंद्र पूनियां था, दो अन्य का नाम उसे पता नही है। जिन दो लडको को वह देखकर पहचान सकती है। विक्रम व उसके तीन अन्य साथियों ने उसे गाडी मे बैठाकर उसे एक मकान मे ले गए जहां पर उसके साथ चारों ने जबरदस्ती बलात्कार किया। उन्होंने कमरा बंद करके जबरदस्ती उसकी फोटो व फिल्म बनाई व उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी कि अगर हो—हल्ला किया व किसी को बताया तो तेरे साथ परिवारवालो को भी मार देंगे। उसके बाद उसे कुछ खिला—पिला कर बेहोश कर दिया। जब उसे रात्रि मे होश

आया तब उसके पास पांच लडके थे जिनमे बंटी, राहुल, सुभम, हेमंत, मुकेश गुर्जर नाम के थे जो आपस मे एक दूसरे का नाम लेकर पुकार रहे थे। उन पांचो को वह शक्ल से देखकर पहचान सकती है। उसने उनको कहा कि उसे वहां पर क्यू लाया गया है, हव घर जाना चाहती है, आप कौन हो तो उक्त लडको ने बताया कि उन्हे तो विक्रम पूनियां उसको सौंपकर चला गया है। फिर उसे बताया कि जयपुर मे शिवा पैलेस होटल मे पांच लडको ने उसे कॉल्डड्रिंक जैसा पदार्थ पिलाकर उसे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। अगले दिन उसे होश आया तब उसके पास मुकेश गुर्जर नाम का लडका था। मुकेश गुर्जर ने उसे करीब एक सप्ताह तक डरा धमका कर नशीला पदार्थ देकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करता रहा व उसे धमकी दी कि उसके पास आपकी नग्न फोटो व वीडियो है जो मोबाइल पर डालकर आपको बदनाम कर दूंगा। उनके पास करीब एक सप्ताह से नीमकाथाना के गांव मे थी।

8— उक्त गवाह का आगे कथन है कि दिनांक 01.10.2020 को पुलिस ने मुकेश गुर्जर से छुड़वाकर हमीरवास थाना ले आए थे और उसके परिजनो को सौंप दिया था। जिसके बाद उसकी सार्वजनिक फोटो फिल्म मोबाइल पर डालकर वायरल की जिससे वह डर गई थी। उस डर के कारण वह भयभीत हो गई थी। जिसके बाद वह मुकदमा दर्ज करवाने के लिए उसके चाचा के साथ पुलिस थाना राजगढ आई थी। उसने पुलिस थाना राजगढ मे उसके साथ हुई घटना का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए लिखित रिपोर्ट दी जो प्रदर्श पी 24 है। जिस पर ए से बी स्थानो पर उसके हस्ताक्षर है तथा सी से डी स्थान पर उसके चाचा कृष्णकुमार के हस्ताक्षर है। लिखित रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जो प्रदर्श पी 25 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी उसके चाचा कृष्ण कुमार के हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयना करवाया जो प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके द्वारा बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयना व सैम्पल देने का अंकन है, सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। उसके बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयना करने के दौरान उसके सैम्पल लिए गए थे व अंडरगारमेंट पेंटी लिए थे। दिनांक 06.10.2020 को पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 26 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है, सी से डी स्थान पर उसके चाचा कृष्ण कुमार के हस्ताक्षर है। राजगढ मे जिस मकान मे उसके साथ बलात्कार किया उस मकान से एक चैकदार गुलाबी व सफेद इस्तेमाली तौलिया लेकर उसको एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर किया जाकर जब्त किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 27 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी उसके चाचा कृष्ण कुमार के हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। उक्त लडको ने उसके साथ जयपुर शिवा पैलेस होटल मे बलात्कार किया उस जगह का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 28 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी उसके चाचा कृष्ण कुमार के हस्ताक्षर है। उक्त होटल के जिस कमरे मे उसके साथ बलात्कार किया उस होटल से एक इस्तेमाली चदर डबल बेड की पुलिस ने कब्जा मे

लेकर उसे एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर किया। जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 29 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी उसके चाचा के हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। होटल मे उसके साथ बलात्कार किया तब वहां पर उक्त लडको के व उसके बाल झडकर गिरे थे जिनको पुलिसवालों ने लेकर सील मोहर कर जरिए फर्द जब्त किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 30 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी उसके चाचा के हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थानो पर नमूना सील का अंकन है। जिस होटल मे उक्त लडको ने उसे रखकर उसके साथ बलात्कार किया उस होटल का मूल रजिस्टर व दो आधार कार्ड व एक डीएल की प्रति पुलिस ने जब्त किए थे। जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 31 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी उसके चाचा के हस्ताक्षर है। जिस होटल मे व जिस कमरे मे उसे रखा उस होटल व कमरे तथा चदर व नीचे गिरे हुए बालों की पुलिसवालों ने फोटो ली थी। उसके पुलिस ने कोर्ट मे बयान करवाए थे। कोर्ट बयान का लिफाफा सील्ड हालात मे पेश है जिसे न्यायालय की अनुमति से खोला जाकर प्रदर्शित करवाया जाना है। उसने कोर्ट मे बयान दिए जो बयान प्रदर्श पी 32 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

9— उक्त गवाह का आगे कथन है कि उसके साथ विक्रम के अलावा जिन लड़को ने बलात्कार किया उन मुलजिमानों की शिनाख्तगी उप—कारागृह राजगढ में उसके द्वारा की गई थी। शिनाख्तगी करने पर पहचान प्रारूप तैयार कर उसके हस्ताक्षर करवाये थे। दिनांक 19.10.2020 को राहुल उर्फ शुभम शर्मा की पहचान उसके द्वारा की गई थी जिसका पहचान प्रारूप प्रदर्श पी 38 है जिस पर ए से बी स्थान पर मुलजिम का नाम पता व सी से डी स्थान पर उसके नाम पता का व ई से एफ स्थान पर सही पहचान करने का अंकन है। जी से एच स्थानों पर उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज मुलजिम मुकेश पुत्र गिरधारीलाल गुर्जर की शिनाख्तगी उसके द्वारा की गई थी जिस पर पहचान प्रारूप तैयार किया गया जो प्रदर्श पी 39 है जिस पर ए से बी स्थान पर मुलजिम का नाम पता व सी से डी स्थान पर उसके नाम पता का व ई से एफ स्थान पर सही पहचान करने का अंकन है। जी से एच स्थानों पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 19.11.2020 को उप—कारागृह राजगढ में वीरसिंह उर्फ बंटी पुत्र सुमेर सिंह की उसके द्वारा पहचान की गई थी जिस पर पहचान प्रारूप तैयार किया गया जो प्रदर्श पी 40 है जिस पर ए से बी स्थान पर मुलजिम का नाम पता व सी से डी स्थान पर उसके नाम पता का व ई से एफ स्थान पर सही पहचान करने का अंकन है। जी से एच स्थानों पर उसके हस्ताक्षर है। उसने उप—कारागृह राजगढ मे पहचान की तब समान कद काठी के व एक जैसे कपड़े पहने हुए एक लाईन में आठ बंदियो को खड़ा किया था जिसमें उसके द्वारा सही पहचान करने पर पहचान प्रारूप तैयार किये गये थे। उसके साथ उक्त मुलजिमानो ने उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया था उसका मेडिकल मुआयना के समय उसका पहचान प्रारूप तैयार किया गया था जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 37 है जिस पर ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर उसकी फोटो है।

10— जिरह में इस गवाह का कथन है कि मुकदमा दर्ज करवाने वाला प्रार्थना पत्र पुलिस वाले टाईप करवाकर लाये थे। उस समय उसके माता पिता उसके साथ थे। मुदकमा 11 दिन की देरी से दर्ज करवाया था। पुलिस उसे दिनांक 5.10.2020 को नीम का थाना से लेकर आई थी। प्रदर्श डी 2 पर उसके खाली कागज पर हस्ताक्षर कराये थे। वह घर से कोई फोन लेकर नहीं चली। यह कहना गलत है कि उसने हॉटल रॉयल शिवा पैसेसे में अपना आधार कार्ड दिया हो उसकी तो एन्टरी दर्ज करवाई गई है। प्रदर्श डी 4 के कॉलम 4 के कॉलम 17 में जो आधार नम्बर हैं वे उसी के हैं। कार में विक्रम पूनियां व देवेन्द्र पूनियां उसे जबरदस्ती ले गये थे । उसे पता नहीं कि उसने दस दिन में कुछ खाया या नहीं। उसे पता नहीं है कि दस दिन में वह नहाई थी या नहीं और कपडे बदले थे या नहीं । राजगढ से जयपुर गये तब बचने के लिए उसने कोई आवाज नहीं लगाई । जयपुर से नीम का थाना किस साधन से गये उसे पता नहीं। पहले दिन उससे पहचान परेड विक्रम व बंटी की करवाई थी। मुलजिमान राहुल उर्फ शुभम, मुकेश, वीरसिंह, विक्रम उसे अपहृत करने राजगढ नहीं आये । 24.9.2020 से घर आने तक उसने कितनी बार कपडे बदले उसे पता नहीं । दुष्कर्म के दौरान उसके चोटें नहीं आई । उसे पता नहीं कि मुलजिमान ने उसकी छाती व गालों पर बटके भरे थे । दुष्कर्म के दौरान मुलजिमान ने उसके कपडे निकाले या नहीं उसे पता नहीं। उसे पता नहीं कि एम एस सी का फार्म किस ओफिस में भरा जाता है और क्या क्या दस्तावेज लगते हैं। विक्रम पूनियां का नाम उसे किसी ने नहीं बताया बस बातचीत से पता चला था। उसे कार में जबरदस्ती बैठाया था तब वह चिल्लाई थी। कार के अन्दर भी उसके साथ छीना झपटी हुई थी परन्तु चोट नहीं लगी। उसे कार में पीछे बैठाया था। तीनो ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसे मकान में कोल्ड ड्रिंक पिलाई तब वह बेहोश हो गई थी। प्रदर्श पी 24 कहां किसने लिखवाई उसे पता नहीं उसने थाने में हस्ताक्षर किये थे। मजिस्ट्रेट के सामने हुए बयान प्रदर्श पी 36 का हिस्सा इ से एफ उसने नहीं लिखवाया ।

11— गवाह पीडब्लू 10 रतनपाल पीडिता का पिता है जिसका कथन है कि वह गांव नवां का रहने वाला है। वह भारतीय सेना से सेवानिवृत होकर डीआरडीओ डुलानियां झुंझुनू मे नौकरी करने लगा। उसके तीन बच्चे है जिनमे आकांक्षा उसकी बड़ी लडकी है। वह उसके बच्चों सहित पिलानी मे किराए के मकान पर रहता था। उसके माता—पिता गांव मे रहते थे। दिनांक 21.09.2020 को उसकी लडकी आकांक्षा अपनी दादी—दादा के पास गांव नवां आई थी। दिनांक 24.09.2020 को उसकी बेटी आकांक्षा एसएससी का फॉर्म भरने के लिए राजगढ आई थी जो उस रोज घर पर वापिस नही गई तो उसके पिता लोकराम ने उसके को आकांक्षा के घर पर नही आने के बारे मे बताया व उसकी लडकी की गुमशुदगी पुलिस थाना हमीरवास मे दर्ज करवाई। वे उसकी बेटी की तलाश मे लगे हुए थे तब उन्हे दिनांक 02.10.2020 को पता चला कि उनकी बेटी नीमकाथाना मे है जिस पर पुलिस को बताया तो पुलिस उनकी बेटी आकांक्षा को हमीरवास लेकर आई जो काफी भयभीत व शारीरिक रूप से ठीक नही थी। दिनांक 05.10.2020 को उसकी लडकी ने

अपने चाचा कृष्ण कुमार को बताया कि दिनांक 24.09.2020 को गांव से राजगढ एसएससी का फॉर्म भरवाने गई तब राजगढ बस स्टेण्ड पर वह करीब दोपहर एक बजे पहुंची तो उसे बस स्टेण्ड पर विक्रम पूनियां निवासी सूरतपुरा मिला जो आकांक्षा के साथ पहले खेल की तैयारी के समय करीब पांच साल पहले कोटा मे मिला था। विक्रम ने आकांक्षा को कहा कि राजगढ कैसे आई हो तो आकांक्षा ने कहा वह एसएससी का फॉर्म भरवाने के लिए आई हूं तब आकांक्षा को विक्रम बोला कि वह सब काम करवा दूंगा। फिर विक्रम ने गाडी बुलाकर जिसमे तीन लडके और थे जिनमे एक का नाम देवेंद्र बताया जो राजगढ मे एक मकान मे लेकर गए। आकांक्षा को ज्यूस के साथ कोई नशीला पदार्थ दिया जिससे आकांक्षा ने अपनी सुधबुध खो दी तथा आकांक्षा के साथ उन लडको ने गलत काम बलात्कार किया व फोटो व वीडियो बनाई। आकांक्षा को डराया व धमकाया कि अगर आपके परिवारवालों को बताया तो जान से मार देंगे। उसके बाद विक्रम आदि आकांक्षा को जयपुर लेकर गए। जहां पर आकांक्षा को एक होटल मे रखा। वहां पर मुकेश गुर्जर नाम का लडका मिला जिसके साथ चार अन्य लडके थे। जिनमे बंटी, राहुल, शुभम, हेमंत थे। आकांक्षा को जब होश आया तो आकांक्षा ने उन से पूछा कि उसे यहां क्यूं लेकर आए हो तो उन्होंने बताया कि विक्रम पूनियां आपको हमें सुपुर्द करके गया है। उसके बाद उक्त लडको ने आकांक्षा के साथ जोर–जबरदस्ती बलात्कार किया। उसके बाद आकांक्षा को नीमकाथाना ले गए जहां से पता चलने पर पुलिस के द्वारा लाया गया तथा उसकी बेटी आकांक्षा अपने चाचा कृष्ण कुमार को साथ ले जाकर उक्त घटना का मुकदमा पुलिस थाना राजगढ मे दर्ज करवाने के लिए लिखित रिपोर्ट दी जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने दिनांक 06.10.2020 को आकांक्षा की उपस्थिति मे उनकी निशानदेही पर कस्बा राजगढ मे जिस मकान मे आकांक्षा को ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया उस जगह का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 26 है जिस पर ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। कस्बा राजगढ मे उसकी बेटी के साथ मकान जगदेव सिंह मे जबरदस्ती बलात्कार किया उस जगह से एक तौलिया मिला जिसको पुलिस ने अपने कब्जा मे लेकर उसे एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर कर जरिए फर्द बरामद किया जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 27 है जिस पर ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है।

12– जिरह में इस गवाह का कथन है कि जिस समय उसकी बेटी को थाने लाये उस समय वह थाने में नहीं था। मुकदमा दर्ज किया वह दरख्वास्त प्रदर्श पी 24 रामप्रताप सीआई ने अपने रीडर से लिखवाई थी। उसके बयान प्रदर्श डी 4 में बताई बाते कृष्ण कुमार ने बताई और कृष्ण कुमार को पीडिता ने बताई थी। उन्होने 2 तारीख से 5 तारीख के बीच अपनी बेटी का कहीं कोई ईलाज नहीं करवाया । यह सही है कि उसकी लडकी के मिलने के तीन दिन बाद मुकदमा दर्ज करवाया था।

13– पीडब्लू 11 कृष्ण कुमार पीडिता का चाचा है जिसका सशपथ कथन है कि वह गांव नवां का निवासी है। उसके ताउ लोकराम का बेटा रतनपाल अपने बच्चों सहित

पिलानी मे किराए के मकान मे रहता था जो आर्मी से रिटायर होने के बाद डीआरडीओ डुलानिया जिला झुंझुनू मे नौकरी करता था तथा मेरा ताउ लोकराम व ताई/मौसी सावित्री गांव मे ही रहते थे। रतनपाल की लडकी आकांक्षा अपने दादा–दादी के पास गांव नवां मे आई हुई थी। दिनांक 24.09.2020 को आकांक्षा एसएससी का फॉर्म भरवाने के लिए राजगढ आई हुई थीं जो करीब दोपहर एक बजे बस स्टेण्ड राजगढ पर पहुंची थी जो शाम को वापिस नही गई थी तो उसके ताउ लोकराम ने रतनपाल को सूचना दी व उसे बताया फिर हमने इधर–उधर पता किया, नही मिलने पर उसके ताउ लोकराम ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई। आकांक्षा की हम तलाश करते रहे। जिसका पता चला कि नीमकाथाना मे है तो हमने पुलिस को बताया तो पुलिस दिनांक 02.10.2020 को नीमकाथाना से लेकर आई थी जो एकदम भयभीत व शारीरिक रूप से ठीक नही थी। आकांक्षा ने फिर उसे आपबीती बताई कि वह दिनांक 24.09.2020 को राजगढ एसएससी का फॉर्म भरने गई तब उसे विक्रम पूनियां निवासी सूरतपुरा जो कोटा मे खेल के दौरान करीब पांच साल पहले मिला था जिसने उसे राजगढ आने का कारण पूछा तो उसने उसे एसएससी का फॉर्म भरवाने की बात बताई जिस पर विक्रम पूनियां ने कहा कि उसके साथ चलो, वह उसका सब काम करवा देगा तथा विक्रम पूनियां ने गाडी बुलाई जिसमे तीन अन्य लडके भी थे जिनमे एक का नाम देवेंद्र पूनियां पुकार रहे थे जो गाडी मे बैठाकर उसे राजगढ एक मकान मे ले गये तथा उसे ज्यूस के साथ नशीला पदार्थ दिया जिसके बाद उसके साथ गलत काम बलात्कार किया व उसकी अश्लील फोटो व वीडियो बना ली तथा उसे धमकाया कि अगर आप अपने परिजनो को बताओगी तो वे उसे व उसके परिवारवालों को जान से मार देंगे तथा विक्रम आदि उसे जयपुर होटल मे ले गए जहां पर उसे होश आया तो वहां मुकेश गुर्जर नाम का लडका था व चार अन्य लडके थे जिनके नाम बंटी, राहुल, शुभम व हेमंत थे, उसने मुकेश गुर्जर आदि से कहा कि उसे यहां क्यूं लेकर आए हो तो उन्होंने कहा कि आपको विक्रम पूनियां हमें सुपुर्द करके गया है तथा पांचो लडको ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया तथा उसे नीमकाथाना ले गए तथा जहां पर भी नशीला पदार्थ देकर बलात्कार करते रहे तथा धमकी दी कि आपने किसी को बताया तो आपका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगें। उक्त घटना आकांक्षा द्वारा बताने पर पुलिस थाना राजगढ मे उक्त लडको के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने हेतु आकांक्षा ने एक लिखित रिपोर्ट दी जो प्रदर्श पी 24 है जिस पर सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। जिस दर्ख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया जो प्रदर्श पी 25 है जिस पर सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। आकांक्षा के साथ राजगढ मे जिस मकान मे विक्रम आदि ने नशीला पदार्थ देकर जबरदस्ती बलात्कार किया उस जगह का आकांक्षा की निशानदेही पर हमारी उपस्थिति मे नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 26 है जिस पर ए से बी आकांक्षा व सी से डी उसके तथा ई से एफ आकांक्षा के पिता रतनपाल के हस्ताक्षर है। कस्बा राजगढ मे जगदेव सिंह के मकान मे आकांक्षा के साथ बलात्कार किया उस मकान मे एक तौलिया मिला जिसको पुलिस ने एक सफेद कपडे की थैली मे

डालकर उसे सील मोहर कर जरिए फर्द जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 27 है जिस पर सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। आकांक्षा को जयपुर मे रॉयल शिवा पैलेस होटल मे ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया उस होटल व कमरा का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 28 है जिस पर सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। जयपुर के शिवा पैलेस होटल मे जिस कमरे मे आकांक्षा के साथ बलात्कार किया वहां से एक इस्तेमाली डबल बैड की चादर पुलिस ने सील मोहर कर जरिए फर्द जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 29 है जिस पर सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है तथा पुलिस ने उस कमरे मे बिखरे हुए कुछ बाल लेकर उसे सील मोहर कर जरिए फर्द जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 30 है जिस पर सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है तथा उस होटल का मूल रजिस्टर व जो लडके रहे उनके दो आधार कार्ड व एक डीएल पुलिस ने जब्त किए थे जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 31 है जिस पर सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसकी भतीजी आकांक्षा को विक्रम आदि बहला–फुसलाकर ले जाकर उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया व बताने पर उनकी अश्लील वीडियो जो उनके द्वारा बनाई गई थी वह वायरल करने की धमकी दी।

14– जिरह में इस गवाह का कथन है कि प्रदर्श डी 5 गुमशुदगी का हिस्सा ए से बी उसने नहीं लिखवाया । प्रदर्श डी 3 के बयान उसने पुलिस को नहीं दिये । पुलिस ने कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे और उस समय एतराज नहीं किया क्योंकि पुलिस वालों ने कहा था यह उनका काम है। प्रदर्श डी 4 के हिस्सा ए से बी के कॉलम 18 में पीडिता के हस्ताक्षर नहीं हैं । वह जयपुर होटल में उनके साथ गई थी। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 ईमित्र पर लिखवाई थी जो आकांक्षा ने लिखवाई थी और वह उसके साथ था। पीडिता को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बलात्कार किया। यह सही है कि आकांक्षा के मिलने के बाद दो दिन देरी से मुकदमा दर्ज करवाया था।

15– गवाह पीडब्लू 16 प्रहलाद सिंह होटल रॉयल शिवा पैलेसे का मैनेजर है, जिसने कथन किया है कि आज से करीब चार–पांच साल पहले वह रॉयल शिवा पैलेस होटल सिंधी कैम्प जयपुर मे वैटर की नौकरी करता था। होटल पर मैनेजर का काम हेमंत व नोसाद करते थे। होटल मे ठहरने के लिए रूम किराए पर दिए जाते है। किरायेदार की आईडी लेकर ही मकान किराए पर दिया जाता है। उस दिन होटल मैनेजर नोसाद अपने गांव गए हुए थे। उस रोज मैनेजर का काम हेमंत ही देख रहा था। हेमंत ने उस रोज आने–जाने वाले व्यक्तियों का रजिस्टर मे इंद्राज किया था। होटल मे रोजमर्रा के हिसाब से पंद्रह –बीस आदमी किराए पर आ ही जाते है।

16– जिरह में इस गवाह का कथन है कि वह किसी मुलजिम को नहीं जानता और उसे पता नहीं कि उक्त होटल में उस दिन कौन लडकी या लडका आये थे ।

17– पीडब्लू 1 राहुल होटल रॉयल शिवा पैलेसे में निवास करने वाला गवाह है, जो पक्षद्रोही घोषित हुआ है। जिरह में इस गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श 1 लिखवाने से

इन्कारी करते हुए कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उसने पुलिस को यह बताया हो कि रूम नम्बर 206 में शुभम, बंटी, पीडिता रहते हों।

18– गवाह पीडब्लू 2 डा0 प्रवेश कुमारी पीडिता का मैडीकल मुआयना करने वाली चिकित्सक है जिसका सशपथ कथन है कि वह दिनांक 05.10.2020 को सीएचसी राजगढ मे एमओ के पद पर कार्यरत थी। उस रोज थानाधिकारी पीएस राजगढ ने मुकदमा नंबर 308/2020 मे पीडिता कुमारी आकांक्षा पुत्री रतनपाल निवासी नवां के बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयना करने हेतु तहरीर दी जो प्रदर्श पी 2 है जिस पर ए से बी स्थान पर मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरो के नाम है, सी से डी डॉ उम्मेद पूनियां के मेडिकल बोर्ड गठन करने के संबंध मे हस्ताक्षर है, ई से एफ स्थान पर मेरे, जी से एच मेडिकल बोर्ड की सदस्या डॉ श्वेता के हस्ताक्षर है। मेडिकल बोर्ड द्वारा पीडिता कुमारी आकांक्षा पुत्री रतनपाल निवासी नवां का बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयना कर रिपोर्ट तैयार की जो प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी पीडिता द्वारा बलात्कार संबंधी जांच के लिए सैम्पल लेने की सहमति का अंकन कर सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थानो पर पीडिता आकांक्षा की अंगूठा निशानी है, ई से एफ पीडिता की सामान्य जांच का अंकन है, जी से एच स्थान पर पीडिता के मासिक धर्म से संबंधित हिस्ट्री का अंकन है, आई से जे स्थान पर पीडिता के मेडिकल मुआयना संबंधी अंकन, के से एल स्थान पर पीडिता के दौराने मेडिकल लिए गए सैम्पल ए वेजाइनल स्वाब, बी प्यूबिक हैअर, सी स्लाईवा ड्राइड गॉज, डी ब्लड ड्राइड गॉज, ई वैजाइनल स्वॉब स्लाईड नं 2, एफ एफटीए कार्ड विद ब्लड शॉक्ड, जी अंडरगारमेंटस 1 पेंटी, एच यूरीन सैम्पल वाईल, आई ब्लड सैम्पल वाईल, लेकर उस पर पैकेट मार्क ए अंकित कर सील मोहर कर एफएसएल हेतु तहरीर तैयार कर पुलिस को सुपुर्द की। मेडिकल बोर्ड की राय एम से एन स्थान पर है, ओ से पी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है, क्यू से आर बोर्ड के सदस्या डॉ श्वेता के हस्ताक्षर है, वाई स्थानो पर नमूना सील का अंकन है। मेडिकल बोर्ड की राय मे– Opinion regarding recent sexual intercourse will be given after receiving of chemical examination for which one vaginal swab and two vaginal smear slides has been perserved and sealed and handed over to police for detection of semen and spermatozoa.

19- जिरह में इस गवाह का कथन है कि पीडिता के शरीर पर कोई चोट नहीं थी । पीडिता के प्राईवेट पार्ट पर भी कोई चोट नहीं थी। वह नहीं बता सकती की पीडिता के साथ जबरदस्ती बलात्कार हुआ या नहीं ।

20– गवाह पीडब्लू 3 डा0 महीपाल सिंह अभियुक्तगण का मैडीकल मुआयना करने का गवाह है, जिसने अपने बयानो में कथन किया है कि दिनांक 06.10.2020 को वह राजगढ़ सीएचसी में एम.ओ. के पद पर कार्यरत था। उस रोज उप अधीक्षक वृत राजगढ़ ने मुलजिम विक्रम पुत्र महेंद्र निवासी सूरतपुरा, का मुकदमा नं 308/2020 में

पुरूषत्व संबंधित मैडिकल मुआयना करने बाबत् तहरीर दी। जो प्रदर्श पी 4 है जिसपर ए से बी स्थान पर उसके प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर तथा समय का अंकन है। उसने विक्रम पुत्र महेंद्र सिंह का मैंडिकल मुआयना तैयार किय जो प्रदर्श पी 5 है जिस पर ए से बी स्थान पर मुलजिम के नाम पता का अंकन है सी से डी स्थान पर मैंडिकल करने की दिनांक व समय का अंकन है, ई से एफ स्थान पर पहचान चिन्ह का अंकन है। जी से एच स्थानो पर विक्रम द्वारा पुरूषत्व बाबत् मैंडिकल मुआयना करने की दी गई सहमति का अंकन है। आई से जे स्थान पर विक्रम सिंह के हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर उसके अंगूठा निशानी है। के से एल स्थान पर मुलजिम विक्रम सिंह के दौराने परीक्षण लिये गये सैंपल का अंकन है। एम से एन स्थान पर विक्रम सिंह का परीक्षण का अंकन है। ओ से पी स्थान पर उसकी राय है। क्यू से आर स्थान पर उसके हस्ताक्षर व सील मोहर का अंकन है। दौराने परीक्षण विक्रम सिंह के सैंपल लिये जो नंबर 1 स्वाब फ्रॉम ग्लास पेनिश, नंबर 2 ब्लड डाईड गॉज, नंबर 3 स्लाईवा डाईड गॉज, 4 प्यूबीक हैयर, 5 अंडर वीयर, 6 एफटीए कार्ड बिद ब्लड लेकर उसे पैकेट मार्क बी अंकित कर सील मोहर कर एफ एस एल हेतु जांच अधिकारी को सुपुर्द की। उसकी राय में ऐसा कुछ नही पाया गया जिससे ये साबित हो कि मुलजिम शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ है। दिनांक 08.10.2020 को वह राजगढ़ सीएचसी में एम.ओ. के पद पर कार्यरत था। उस रोज उप अधीक्षक वृत राजगढ़ ने मुलजिम मुकेश कुमार गुर्जर पुत्र गिरधारी लाल निवासी पापड़ा पीएस उदयुपरवाटी व शुभम शर्मा उर्फ राहूल पुत्र शंकर लाल निवासी नावलाई पीएस श्रीमाधोपुर का मुकदमा नं 308/2020 में पुरूषत्व संबंधित मैडिकल मुआयना करने बाबत् तहरीर दी। जो प्रदर्श पी 6 है जिसपर ए से बी स्थान पर उसके प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर तथा समय का अंकन है। उसने मुकेश कुमार गुर्जर पुत्र गिरधारी लाल का मैंडिकल मुआयना तैयार किया जो प्रदर्श पी 7 है जिस पर ए से बी स्थान पर मुलजिम के नाम पता का अंकन है सी से डी स्थान पर मैंडिकल करने की दिनांक व समय का अंकन है, ई से एफ स्थान पर पहचान चिन्ह का अंकन है। जी से एच स्थानो पर मुकेश द्वारा पुरूषत्व बाबत् मैंडिकल मुआयना करने की दी गई सहमति का अंकन है। आई से जे स्थान पर मुलजिम मुकेश कुमार गुर्जर के हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर उसके अंगूठा निशानी है। के से एल स्थान पर मुलजिम मुकेश कुमार गुर्जर के दौराने परीक्षण लिये गये सैंपल का अंकन है। एम से एन स्थान पर मुकेश कुमार गुर्जर का परीक्षण का अंकन है। ओ से पी स्थान पर उसकी राय है। क्यू से आर स्थान पर उसके हस्ताक्षर व सील मोहर का अंकन है। दौराने परीक्षण मुकेश कुमार गुर्जर के सैंपल लिये जो नंबर 1 स्वाब फ्रॉम ग्लास पेनिश, नंबर 2 ब्लड डाईड गॉज, नंबर 3 स्लाईवा डाईड गॉज, 4 प्यूबीक हैयर, 5 अंडर वीयर, 6 एफटीए कार्ड बिद ब्लड लेकर उसे पैकेट मार्क डी अंकित कर सील मोहर कर एफ एस एल हेतु जांच अधिकारी को सुपुर्द की। उसकी राय में ऐसा कुछ नही पाया गया जिससे ये साबित हो कि मुलजिम शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ है। उसने उसी रोज शुभम शर्मा उर्फ राहूल पुत्र शंकर लाल का मैंडिकल मुआयना तैयार किया जो प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी स्थान पर

मुलजिम के नाम पता का अंकन है सी से डी स्थान पर मैंडिकल करने की दिनांक व समय का अंकन है, ई से एफ स्थान पर पहचान चिन्ह का अंकन है। जी से एच स्थानो पर शुभम कुमार द्वारा पुरूषत्व बाबत् मैंडिकल मुआयना करने की दी गई सहमति का अंकन है। आई से जे स्थान पर मुलजिम शुभम कुमार के हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर उसके अंगूठा निशानी है। के से एल स्थान पर मुलजिम शुभम कुमार के दौराने परीक्षण लिये गये सैंपल का अंकन है। एम से एन स्थान पर शुभम कुमार का परीक्षण का अंकन है। ओ से पी स्थान पर उसकी राय है। क्यू से आर स्थान पर उसके हस्ताक्षर व सील मोहर का अंकन है। दौराने परीक्षण शुभम कुमार के सैंपल लिये जो नंबर 1 स्वाब फ्रॉम ग्लास पेनिश, नंबर 2 ब्लड डाईड गॉज, नंबर 3 स्लाईवा डाईड गॉज, 4 प्यूबीक हैयर, 5 अंडर वीयर, 6 एफटीए कार्ड बिद ब्लड लेकर उसे पैकेट मार्क सी अंकित कर सील मोहर कर एफ एस एल हेतु जांच अधिकारी को सुपुर्द की। उसकी राय में ऐसा कुछ नही पाया गया जिससे ये साबित हो कि मुलजिम शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ है।

21— जिरह में इस गवाह का कथन है कि द्वारा विक्रम, शुभम व मुकेश का मैडीकल परीक्षण करने से पूर्व सहमति ली गई थी। परीक्षण के दौरान जो सैम्पल लिये वो पुलिस कर्मचारी को दिये थे कब दिये उसे ध्यान नहीं है।

22— गवाह पीडब्लू 4 डा0 पंकज कुमार पूनिया अभियुक्त का मैडीकल मुआयना करने का गवाह है जिसने अपने बयानो में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 08.11.2020 को वह राजगढ़ सीएचसी में एम.ओ. के पद पर कार्यरत था। उस रोज उप अधीक्षक वृत राजगढ़ ने मुलजिम वीर सिंह उर्फ बंटी पुत्र सुमेर सिंह निवासी वार्ड नं. 04, सूरतगढ़ जिला गंगानगर का मुकदमा नं 308/2020 में पुरूषत्व संबंधित मैडिकल मुआयना करने बाबत् तहरीर दी। जो प्रदर्श पी 9 है, जिस पर ऐ से बी स्थान पर मैंडिकल के दौरान लिये गये सैंपल का अंकन व पहचान चिह्न का अंकन है, सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसने वीर सिंह उर्फ बंटी का मैंडिकल मुआयना तैयार किया जो प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी स्थान पर मुलजिम के नाम पता का अंकन है सी से डी स्थान पर मैंडिकल करने की दिनांक व समय का अंकन है, ई से एफ स्थान पर मैंडिकल के दौरान लिये गये सैंपल का अंकन है। जिसमें 1 एफटीए कार्ड बिद ब्लड फॉर डीएनए परीक्षण 2 ब्लड डाईड गॉज, नंबर 3 स्लाईवा डाईड गॉज, 4 प्यूबीक हैयर, 5 अंडर वीयर, लेकर उसे पैकेट मार्क एफ अंकित कर सील मोहर कर एफ एस एल हेतु जांच अधिकारी को सुपुर्द की। आई से जे स्थान पर उसकी राय है। के से एल स्थान पर उसके हस्ताक्षर व सील मोहर का अंकन है। उसकी राय में ऐसा कुछ नही पाया गया जिससे ये साबित हो कि मुलजिम शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ है।

23— जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि वीरसिंह की पहचान के दस्तावेज उसने नहीं देखे। सैम्पल सील किये थे जो अनुसंधान अधिकारी को दिये थे या नहीं उसे पता नहीं लेकिन पुलिस कर्मचारी को दिये थे परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है।

24— गवाह पीडब्लू 12 गुरभूपेन्द्र सिंह प्रकरण में एफ आई आर दर्ज करने का गवाह है, जिसने अपने बयानो में कथन किया है कि दिनांक 05.10.2020 को वह थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ के पद पर पदस्थापित था। उस रोज परिवादिया आकांक्षा ने अपने चाचा कृष्ण कुमार के साथ पेश होकर एक टाइपसुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी 24 उसके समक्ष पेश की जिस पर उसने ई से एफ कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन कर जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। लिखित रिपोर्ट के आधार पर चाक एफआईआर दर्ज की जो प्रदर्श पी 25 है जिस पर ए से बी पीडिता आकांक्षा के व सी से डी आकांक्षा के चाचा कृष्ण कुमार के, ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान हेतु पत्रावली वृताधिकारी राजगढ रामप्रताप विश्नोई को सुपुर्द की। दौराने अनुसंधान वृताधिकारी रामप्रताप विश्नोई ने मुलजिम सुभम शर्मा उर्फ राहुल को थाना परिसर मे गिरफतार किया था जिसमे उसे गवाह रखा था। शुभम शर्मा की गिरफतारी प्रदर्श पी 11 है जिस पर ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है तथा ए से बी मुलजिम के हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान वृताधिकारी राजगढ ने मुकदमा हाजा मे मुलजिमान विक्रम सिंह, राहुल शर्मा उर्फ शुभम, मुकेश गुर्जर, वीर सिंह उर्फ बंटी व विधि से संघर्षरत किशोर के विरूद्ध आरोप धारा 343, 376डी भा0द0स0 मे प्रमाणित मानकर न्यायालय मे चार्जशीट पेश करने हेतु पत्रावली मेरे पास भिजवाई। उसने मुलजिमान विक्रम सिंह, राहुल शर्मा उर्फ शुभम, मुकेश गुर्जर, वीर सिंह उर्फ बंटी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय मे पेश की तथा विधि से संघर्षरत किशोर के खिलाफ पृथक से किशोर न्याय बोर्ड मे आरोप पत्र पेश किया।

25— जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि प्रकरण में जो फर्द गिरफतारी पर अपने हस्ताक्षर बता रहा है वह सीओ साहब राजगढ के द्वारा तैयार की गई थी परन्तु उनकी तफतीश को उसने तस्दीक नहीं किया।

26— गवाह पीडब्लू 18 रामप्रताप अनुसंधान अधिकारी है, जिसका सशपथ बयान है कि दिनांक 05.10.2020 को वह वृताधिकारी राजगढ के पद पर पदस्थापित था। उस रोज उसे एफआईआर नंबर 308/20 पुलिस थाना राजगढ की पत्रावली अन्वेषण हेतु प्राप्त हुई। उसने पत्रावली का अवलोकन कर अन्वेषण शुरू किया। थानाधिकारी राजगढ गुरभूपेंद्र सिंह द्वारा प्रकरण दर्ज होने पर पीडिता आकांक्षा का रेप बाबत मेडिकल मुआयना करवाया। एमओ सीएचसी राजगढ को थानाधिकारी गुरभूपेंद्र सिंह द्वारा दी गई तहरीर प्रदर्श पी 2 है जिस पर आई से जे गुरभूपेंद्र सिंह के हस्ताक्षर है जिन्हें वह उसके अधीनस्थ कार्य करने के कारण पहचानता है। उक्त तहरीर के आधार पर पीडिता का मेडिकल कर मेडिकल रिपॉर्ट मेडिकल बोर्ड द्वारा तैयार की गई जिसे उसने बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया जो प्रदर्श पी 3 है। पीडिता आकांक्षा कुमारी के बयान उसने महिला कानि0 अनिता से उसके निर्देशन मे लेखबद्ध करवाकर शामिल पत्रावली किए। बयान जैसे पीडिता ने बोले थे वैसे ही लेखबद्ध किए गए थे। उसने गवाहान कृष्ण कुमार, रतनपाल, लोकराम, श्रीमती

सावित्री देवी से तफतीश कर उनके बोले अनुसार बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए। पीडिता आकांक्षा की निशानदेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 26 तैयार किया। जिस पर ए से बी पीडिता, सी से डी व ई से एफ गवाहान के, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। जिसका हालात मौका प्रदर्श पी 26ए है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त घटनास्थल से पीडिता की निशानदेही से घटना के समय प्रयोग किया गया एक इस्तेमाली तौलिया को जरिए फर्द प्रदर्श पी 27 बतौर वजह सबूत जब्त कर सील्ड किया गया तथा पैकेट पर मार्क क अंकित किया गया। प्रदर्श पी 27 पर ए से बी पीडिता के, सी से डी व ई से एफ गवाहान कृष्ण व रतनपाल के, जी से एच उसके हस्ताक्षर तथा एक्स स्थान पर नमूना सील आरपीबी आरपीएस का अंकन है। पीडिता आकांक्षा ने साथ चलकर जयपुर सिंधी कैम्प स्थित एक होटल रॉयल शिवा पैलेस के रूम नंबर 206 मे भी मुलजिमान द्वारा बलात्कार करना बताया। जिसका भी निरीक्षण कर नक्शा मौका मार्क ए प्रदर्श पी 28 तैयार किया गया जिस पर ए से बी आंकांक्षा, सी से डी कृष्ण कुमार व ई से एफ गवाह नौसाद के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। हालात मौका प्रदर्श पी 28ए है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त घटनास्थल कमरा नंबर 206 से एक इस्तेमाली चद्दर डबल बैड होटल रॉयल पैलेस से जब्त कर सील मोहर कर मार्क ग अंकित किया। जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 29 तैयार की जिस पर ए से बी आकांक्षा, सी से डी कृष्ण कुमार व ई से एफ गवाह नौसाद के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। उक्त कमरा मे से ही मिले मानव बालो को जरिए फर्द कब्जा मे सील मोहर किया व मार्क घ अंकित किया। जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 30 तैयार की जिस पर ए से बी आकांक्षा, सी से डी कृष्ण कुमार व ई से एफ गवाह नौसाद के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है।

27— इस गवाह ने आगे कथन किया है कि उसी होटल से एक मूल विजिटर रजिस्टर जो होटल के मैनेजर नौसाद ने पेश किया तथा बताया कि इसमें होटल मे रूकने वाले व्यक्तियो की इंटरी की जाती है। जिसकी अवलोकन किया तो मूल रजिस्टर के क्रम संख्या 334 दिनांक 24.09.2020 समय 11:50 पीएम पर रूम नंबर 206 मे एक पुरूष व एक महिला आकांक्षा व वीरसिंह द्वारा रूकने का अंकन किया हुआ था जिसको बतौर वजह कब्जा पुलिस मे लिया गया। मूल रजिस्टर प्रदर्श पी 56 है जिस पर ए से बी हिस्सा पर रूकने का इंद्राज किया हुआ है। उक्त रजिस्टर की इंटरी के साथ आकांक्षा व वीरसिंह की आईडी प्रूफ की प्रति भी नौसाद ने पेश की थी जो प्रदर्श पी 57 है जिस पर ए से बी नौसाद की इंटरी व हस्ताक्षर है। कमरे मे रूके ग्राहक राहुल सैनी व हेमंत कुमार लोढा के आधार कार्ड की भी प्रतियां प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। उक्त रजिस्टर को जरिए फर्द प्रदर्श पी 31 के जब्त किया। जिस पर ए से बी आकांक्षा, सी से डी कृष्ण कुमार, ई से एफ नोसाद व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसने आयुक्तालय जयपुर उत्तर की फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलवाकर निरीक्षण करवाया। मेरे द्वारा इस हेतु दी गई तहरीर प्रदर्श पी 58 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर व सी से डी प्रभारी टीम के प्राप्ति के

हस्ताक्षर है। उक्त टीम द्वारा घटनास्थल के फोटोग्राफ तैयार कर मय 65 बी प्रमाण पत्र के अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक चूरू को भिजवाई जो प्रदर्श पी 54, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 व 55 है। पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा उक्त रिपोर्ट मुझे कवरिंग लेटर के साथ प्रेषित की गई जो प्रदर्श पी 59 है। जिस पर ए से बी पुलिस अधीक्षक व सी से डी उसके पृष्ठांकन व हस्ताक्षर है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर के निरीक्षण रिपोर्ट का पत्र प्रदर्श पी 54 है जिस पर सी से डी उसके शामिल पत्रावली के हस्ताक्षर व पृष्ठांकन है। उसने जब्तशुदा वजह सबूत को मालखाना मे जमा करवाया। गवाह मैनेजर नौसाद, प्रहलाद, विरेंद्र उर्फ लियाना, राहुल सैनी उर्फ रितू, मुकेश कुमार, जगदेवसिंह, सतपाल कंसल, विकास कुमार वाल्मिकी, हरभगवान उर्फ बंटी, अनिल कुमार उर्फ रमेश कुमार, रितू देवी, बिमला देवी, नीलम देवी, राजेश कुमार, मनोज कुमार, सिकंदर से तफतीश कर उनके बोले अनुसार बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए। मुलजिम विक्रम सिंह से तफतीश कर अपराध साबित पाए जाने पर गिरफतार किया गया जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 60 है जिस पर ए से बी विक्रम, सी से डी व ई से एफ गवाहान के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम विक्रम के पास एक आईटेल कंपनी का की–पेड मोबाइल मिला। जिसमे मुलजिम की पीडिता के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग है जिसे बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस मे लिया गया व कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर कर मार्क ख अंकित किया गया। मोबाइल की फर्द जब्ती प्रदर्श पी 61 तैयार की गई जिस पर ए से बी मुलजिम विक्रम के, सी से डी व ई से एफ गवाहान के व जी से एच उसके हस्ताक्षर तथा एक्स स्थानो पर नमूना सील का अंकन है। मुलजिम विक्रम सिंह ने जैरहिरासत स्वैच्छा से इतला दी थी कि दिनांक 24.09.2020 को आकांक्षा कुमारी को वह जिस मोटरसाईकिल नंबर आरजे 10 –5088 पर बैठाकर ले गया था वह उसके घर पर खडी है जिसे साथ चलकर बरामद करवा सकता है। उक्त इतला की फर्द तैयार की गई जो प्रदर्श पी 62 है जिस पर ए से बी मुलजिम विक्रम के व सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

28– इस गवाह ने आगे कथन किया है कि उक्त इतला के कम मे मुलजिम विक्रम ने अपने घर मौजा सुरतपुरा मे खडी मोटरसाईकिल आरजे 10 एसएन 5088 को बरामद करवाया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 13 तैयार की जिस पर ए से बी मुलजिम विक्रम, सी से डी व ई से एफ गवाहान व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। बरामदगीस्थल मोटरसाईकिल का नक्शा मौका तैयार किया जो प्रदर्श पी 14 है जिस पर ए से बी मुलजिम विक्रम, सी से डी व ई से एफ गवाहान के हस्ताक्षर है। जिसका हालात मौका प्रदर्श पी 14ए है। मुलजिम विक्रम का पुरूषत्व संबंधी व बलात्कार संबंधी मेडिकल करवाया गया। मेडिकल हेतु उसके द्वारा दी गई तहरीर प्रदर्श पी 4 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मेडिकल रिपॉर्ट प्रदर्श पी 5 है। मुलजिम मुकेश कुमार गुर्जर से तफतीश कर उसे बापर्दा गिरफतार कर फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 12 तैयार की जिस पर ए से बी मुकेश, सी से डी व ई से एफ गवाहान के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम मुकेश के पास एक की–पेड मोबाइल फोन लाइफ डी ए पीएस मिला जिसे बतौर जामा

तलाशी कब्जा पुलिस मे लिया गया। मुलजिम शुभम शर्मा उर्फ राहुल को जरिए फर्द प्रदर्श पी 11 के बापर्दा गिरफतार किया गया। जिस पर ए से बी मुलजिम राहुल के, सी से डी व ई से एफ गवाहान के, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम के कब्जे मे एक टचस्क्रीन फोन मिला जिसे बतौर जामा तलाशी कब्जा पुलिस मे लिया गया। मुलजिम वीरसिंह उर्फ बंटी को जरिए फर्द प्रदर्श पी 41 के बापर्दा गिरफतार किया गया जिस पर ए से बी मुलजिम वीरसिंह उर्फ बंटी के, सी से डी व ई से एफ गवाहान के, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम वीरसिंह के कब्जा से एक मोबाइल फोन मिला जिसे बतौर वजह सबूत कब्जा मे लेकर सील मोहर कर मार्क ज अंकित किया जिसकी फर्द जब्ती तैयार की जो प्रदर्श पी 42 है जिस पर ए से बी मुलजिम वीरसिंह के, सी से डी व ई से एफ गवाहान के, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसने उपरोक्त बापर्दा गिरफतार तीनों मुलजिमान की कार्यवाही शिनाख्तगी हेतु एसीजेएम साहब राजगढ को शिनाख्तगी गवाह आकांक्षा से करवाए जाने हेतु तहरीर दी जो प्रदर्श पी 63 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एसीजेएम साहब राजगढ द्वारा इस संबंध मे लिखी गई ऑर्डरशीट व आदेश की प्रति प्राप्त कर शाामिल पत्रावली की। ऑर्डरशीट की प्रति प्रदर्श पी 64 व शिनाख्तगी की कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी राजगढ को नियुक्त करने का आदेश प्रदर्श पी 65 है जिन पर ए से बी उसका शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन व हस्ताक्षर है। एसीजेएम साहब के आदेश की पालना मे उसने उपखण्ड मजि0 राजगढ को शिनाख्तगी हेतु तहरीर दी जो प्रदर्श पी 66 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उपखण्ड अधिकारी की रिसीव का पृष्ठांकन व हस्ताक्षर है। उप–कारागृह राजगढ मे बापर्दा गिरफतारशुदा मुलजिम राहुल उर्फ शुभम शर्मा की पहचान जेल मे स्थित अन्य बंदियों के साथ खडा करके पीडिता आकांक्षा से करवाई। जिसकी पहचान की फर्द की प्रति प्राप्त की जो प्रदर्श पी 67 है। उप–कारागृह राजगढ मे बापर्दा गिरफतारशुदा मुलजिम मुकेश की पहचान जेल मे स्थित अन्य बंदियों के साथ खडा करके पीडिता आकांक्षा से करवाई। जिसकी पहचान की फर्द की प्रति प्राप्त की जो प्रदर्श पी 68 है। उप–कारागृह राजगढ मे बापर्दा गिरफतारशुदा मुलजिम वीरसिंह की पहचान जेल मे स्थित अन्य बंदियों के साथ खडा करके पीडिता आकांक्षा से करवाई। जिसकी पहचान की फर्द की प्रति प्राप्त की जो प्रदर्श पी 69 है।

29– इस गवाह ने आगे कथन किया है कि उपरोक्त तीनो आरोपियों को पीडिता आकांक्षा द्वारा सही पहचान किए जाने का अंकन प्रदर्श पी 67, 68, 69 मे है। घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल नंबर आरजे 10 एसएन 5088 की मूल आरसी मोटरसाईकिल के मालिक राजेश कुमार ने पेश की जिसको जरिए फर्द प्रदर्श पी 43 के कब्जा मे लिया गया। फर्द पर ए से बी राजेश कुमार, सी से डी व ई से एफ गवाहान व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मूल आरसी प्रदर्श पी 70 है। राजेश कुमार को धारा 133 एमवी एक्ट के तहत दिया गया नोटिस प्रदर्श पी 34 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, सी से डी राजेश की उसके सामने खुद कलमी लिखा गया जवाब है तथा ए से बी राजेश के हस्ताक्षर है। मुलजिम विक्रम के पास मिले फोन मे प्रयुक्त सिम नंबर 9784736032 है जो

कि राजेश कुमार के नाम थी। जिसके संबंध मे राजेश कुमार को नोटिस देकर पूछा गया कि उक्त सिम किसके द्वारा प्रयोग की जा रही है। उसके द्वारा इस संबंध मे दिया गया नोटिस प्रदर्श पी 35 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, सी से डी राजेश कुमार द्व ारा दिया गया जवाब, ए से बी राजेश कुमार के हस्ताक्षर है। गिरफतारशुदा मुलजिमान शुभम शर्मा, मुकेश कुमार गुर्जर के मेडिकल मुआयना करवाया गया। उसके द्वारा दी गई तहरीर प्रदर्श पी 6 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। शुभम शर्मा की मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 व मुकेश की प्रदर्श पी 7 अवलोकन कर शामिल पत्रावली की। मुलजिम के मुआयना हेतु दी गई तहरीर प्रदर्श पी 9 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। वीरसिंह की मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। समस्त वजह सबूत को मालखाना मे जमा करवाया। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 44 है जिसकी प्रति पत्रावली पर प्रदर्श पी 44ए है जिस पर ई से एफ वजह सबूत जमा करवाने का अंकन है। पीडिता व मुलजिमान के बलत्कार बाबत लिए गये सैम्पल तथा घटनास्थल से लिए गये सैम्पल को परीक्षण हेतु एफएसएल भिजवाया गया। एफएसएल भेजने बाबत पुलिस अधीक्षक को उसके द्वारा लिखा गया पत्र प्रदर्श पी 71 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पत्र प्रदर्श पी 16 है जिस पर सी से डी पुलिस अधीक्षक चूरू के हस्ताक्षर, ई से एफ शामिल पत्रावली का उसका पृष्ठांकन व हस्ताक्षर है। उक्त वजह सबूत श्री सिकंदर एफसी 194 के साथ एफएसएल मे सील्ड हालात मे जमा करवाए गए। सिकंदर द्वारा प्राप्ति रसीद लाकर पेश की जो प्रदर्श पी 17 है जिस पर ए से बी उसका शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन व हस्ताक्षर है। सिकंदर की आमद रवानगी की रोजनामचे की प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। पीडिता आकांक्षा के धारा 164 सीआरपीसी के बयान लेखबद्ध करवाए गए। उसके द्वारा बयान दर्ज करने हेतु दी गई तहरीर प्रदर्श पी 72 है, न्यायालय ऑर्डरशीट प्रदर्श पी 73 है। मूल बयान धारा 164 सीआरपीसी प्रदर्श पी 32 है जो न्यायिक मजि0 राजगढ श्री अनिल पारवानी जी द्वारा लेखबद्ध किए थे। जिस पर ए से बी पीडिता आकांक्षा के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 73 पर ए से बी आकांक्षा के हस्ताक्षर, सी से डी उसके पहचान व प्रति बयान प्राप्त करने के हस्ताक्षर है। एफएसएल की परीक्षण रिपोर्ट व डीएनए रिपोर्ट शामिल पत्रावली है जो प्रदर्श पी 74 है। आकांक्षा का बलात्कार बाबत मुआयना करवाते समय भरे गए आइडेंटिफिकेशन फॉर्म की प्रति प्रदर्श पी 37 है जिस पर ई से एफ आकांक्षा व जी से एच थानाधिकारी गुरभूपेंद्र के हस्ताक्षर है, ए से बी महिला कानि0 अनिता के हस्ताक्षर व सी से डी उसके शामिल पत्रावली के हस्ताक्षर है। मुलजिमान मुकेश, राहुल व वीरसिंह की शिनाख्त बाबत तात्कालिक उपखण्ड मजि0 श्री पंकज गढवाल के हस्ताक्षर प्रदर्श पी 38 व 39 पर आई से जे है तथा के से एल उप–कारापाल राजगढ के हस्ताक्षर है, एम से एन मुलजिमान के हस्ताक्षर है। वीरसिंह की पहचान फर्द प्रदर्श पी 69 पर ए से बी गवाह आकांक्षा के, सी से डी अभियुक्त वीरसिंह के, ई से एफ उप अधीक्षक कारागृह, जी से एच कार्यपालक मजि0 के हस्ताक्षर है, आई से जे उसके शामिल पत्रावली का अंकन व हस्ताक्षर है। वीरसिंह की

पीडिता से शिनाख्तगी करवाने हेतु उपखण्ड मजि0 राजगढ को उसके द्वारा लिखा गया पत्र प्रदर्श पी 75 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी रिसिव्ड के हस्ताक्षर है। आरोपी विक्रम की कॉल डिटेल प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। पीडिता आकांक्षा की गुमशुदगी रिपोर्ट थाना हमीरवास मे दर्ज करवाई गयी थी। जिसका लिखित प्रार्थना पत्र आकांक्षा के दादा लोकराम द्वारा दिया गया था जो प्रदर्श पी 76 है जिस पर ए से बी लोकराम, सी से डी एसएचओ हमीरवास सुभाषचंद्र के व ई से एफ पुलिस पृष्ठांकन है। उक्त प्रार्थना पत्र पर दर्ज गुमशुदगी रिपोर्ट प्रदर्श पी 77 है जिस पर ए से बी थानाधिकारी सुभाषचंद्र व सी से डी परिवादी लोकराम के हस्ताक्षर है। एमपीआर की जांच प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। सील्डसुदा वजह सबूत आज हाजिर अदालत है जिन्हें न्यायालय की अनुमति से खोला जाकर प्रदर्शित करवाया गया। एक सील्डसुदा कपडे की थैली जिस पर मार्क च अंकित है, जिसके मुंह पर एक चिट दस्तख्ती बंधी हुई है जो प्रदर्श पी 78 है जिस पर ए से बी विधि से संघर्षरत किशोर व सी से डी व ई से एफ गवाहान के हस्ताक्षर, जी से एच उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर नमूना सील आरपीबी आरपीएस का अंकन है। थैली के अंदर एक कार्बन प्रति प्रदर्श पी 78ए है। थैली के अंदर एक रिअलमी कंपनी का स्क्रीन टच मोबाइल फोन निकला। स्क्रीन टच मोबाइल फोन आर्टिकल 1 है। एक सील्डसुदा कपडे की थैली जिस पर मार्क ख अंकित है, जिसके मुंह पर एक चिट दस्तख्ती बंधी हुई है जो प्रदर्श पी 79 है जिस पर ए से बी मुलजिम विक्रम व सी से डी व ई से एफ गवाहान के हस्ताक्षर, जी से एच उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर नमूना सील आरपीबी आरपीएस का अंकन है। थैली के अंदर एक कार्बन प्रति प्रदर्श पी 79ए है। थैली के अंदर एक आईटेल कंपनी का किपेड मोबाइल फोन निकला। की–पेड मोबाइल फोन आर्टिकल 2 है। एक सील्डसुदा कपडे की बडी थैली जो बाद परीक्षण एफएसएल से प्राप्त हुई तथा एफएसएल की सीलसे सील्डसुदा है जिस पर ''एफएसएल/डीएनए/एक्जाम/3892/20, मुकदमा नंबर 308/2020 दिनांक 05.03.2020 पीएस राजगढ धारा 376डी, 343 भा0द0स0 ऑल एक्जिबिट्स आर सील्ड इन वन क्लॉथ'' अंकित है। पैकेट को खोला गया तो उसके अंदर एक सफेद थैला पैकेट मार्क ग अनसील्ड मिला जिसके अंदर एक सफेद रंग की दो बेडशीट है। ये वही बेडशीट है जिसको उसने जयपुर होटल से जब्त किया था। दोनो बेडशीट आर्टिकल 3 व 4 है। एक अन्य पैकेट सफेद कपडे की थैली मार्क क है जिसके अंदर एक तौलिया जिसमें दो चिट दस्तख्ती मूल व कार्बन प्रति निकली जो प्रदर्श पी 80 व 80ए है। जिस पर ए से बी उसके, सी से डी पीडिता आकांक्षा व ई से एफ पीडिता के पिता रतनलाल, जी से एच गवाह कृष्ण कुमार के हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। यह वही तौलिया है जिसको उसने मकान जगदेव घटनास्थल से जब्त किया था। तौलिया आर्टिकल 5 है।

30– उक्त गवाह ने आगे कथन किया है कि एक सील्डसुदा कपडे की थैली जिस पर मार्क सी अंकित है, जो मेडिकल बोर्ड द्वारा मुआयने के समय मुलजिम के ब्लड,

अंडरवियर आदि लेकर सील्ड किए गए थे। जिसमे चार लिफाफे व एक अंडरवियर मुलजिम शुभम उर्फ राहुल के मेडिकल बोर्ड द्वारा लिए गये सैम्पल के समय लिए गए थे। अंडरवियर व चार लिफाफे आर्टिकल 6 है। एक सील्डसुदा कपडे की थैली जिस पर मार्क डी अंकित है, जो परीक्षण के दौरान एफएसएल से अनसील्ड की गई है जिसमे एमओ द्व ारा मेडिकल मुआयने के समय मुलजिम मुकेश कुमार गुर्जर के शरीर से लिए गये सैम्पल के चार लिफाफे व एक अंडरवियर है जो आर्टिकल 7 है। एक सील्डसुदा कपडे की थैली जिस पर मार्क एफ अंकित है, जो परीक्षण के दौरान एफएसएल से अनसील्ड की गई है जिसमे एमओ द्वारा मेडिकल मुआयने के समय मुलजिम वीरसिंह के शरीर से लिए गये सैम्पल के चार लिफाफे व एक अंडरवियर है जो आर्टिकल 8 है। एक सील्डसुदा कपडे की थैली जिस पर मार्क ई अंकित है, जो परीक्षण के दौरान एफएसएल से अनसील्ड की गई है जिसमे एमओ द्वारा मेडिकल मुआयने के समय विधि सें संघर्षरत किशोर के शरीर से लिए गये सैम्पल के चार लिफाफे व एक अंडरवियर है जो आर्टिकल 9 है। एक सील्डसुदा कपडे की थैली जिस पर मार्क बी अंकित है, जो परीक्षण के दौरान अनसील्ड की गई है जिसमे एमओ द्वारा मेडिकल मुआयने के समय मुलजिम विक्रम के शरीर से लिए गये सैम्पल के चार लिफाफे व एक अंडरवियर है जो आर्टिकल 10 है। एक सील्डसुदा कपडे की सफेद थैली जिस पर मार्क ए अंकित है, जो परीक्षण के दौरान अनसील्ड की गई है जिसमे मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल मुआयने के समय पीडिता के लिए गये प्रादर्श सैम्पल अंडरवियर व लिफाफे है जो आर्टिकल 11 है। एक खाखी लिफाफा जिसके अंदर एक कपडे की अनसील्ड थैली मार्क घ मिली। जिसके अंदर उसके द्वारा घटनास्थल होटल जयपुर से मिले बालों को जब्त कर सील्ड किया गया था। जिसके अंदर दो चिट दस्तख्ती निकली। जिसमे मूल चिट प्रदर्श पी 81 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी पीडिता, ई से एफ कृष्ण कुमार, जी से एच होटल मैनेजर नोसाद के हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। कार्बन चिट दस्तख्ती प्रदर्श पी 81ए है। बाद परीक्षण बालों को एक सफेद कागज मे एफएसएल द्वारा लपेट कर भेजा गया है। बाल आर्टिकल 12 है। बाद तफतीश उसने मुलजिमान विक्रम सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी सुरतपुरा, राहुल शर्मा उर्फ शुभम शर्मा पुत्र शंकरलाल, मुकेश कुमार गुर्जर पुत्र गिरधारी लाल, वीरसिंह उर्फ बंटी के विरूद्ध जुर्म धारा 343, 376डी आईपीसी प्रमाणित मानकर पत्रावली पुलिस अधीक्षक के मार्फत थानाधिकारी राजगढ को भिजवाई। जिन्होनें प्रकरण मे उपरोक्तानुसार नतीजा न्यायालय मे पेश किया। विधि से संघर्षरत किशोर हेमंत पुत्र बाबूलाल लोढा का चालान जेजेबी कोर्ट चूरू मे पेश किया।

31— जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि एम पी आर में पीडिता के बयान प्रदर्श डी 1में अपने बयानो में घर वालों से नाराजगी के चलते अपनी मर्जी से जाना बताया था परन्तु इसमें विक्रम के साथ जाने का कोई उल्लेख नहीं है। दिनांक 24.9.2020 को पीडिता ने पहले से परिचित होने के कारण विक्रम को फोन से सम्पर्क करके बुलाया था। यह कहना सही है कि पीडिता को जबरदस्ती न ले जाया

जाकर बहला फुसलाकर ले जाया गया था। प्रदर्श पी 24 में पीडिता ने विक्रम द्वारा जो कार में ले जाना दर्ज करवाया था वो उसके अनुसंधान से सही नहीं पाया गया था अज कहा मोटरसाईकिल से ले जाया गया था। प्रदर्श पी 24 में दर्ज हिस्सा ई से एफ पूर्णतया सही नहीं पाया गया। इसका हिस्सा आई से जे सही नहीं है। इसमें दर्ज अनुसार विडियो बनाना सही नहीं पाया गया परन्तु डराना धमकाना पाया गया था जिस डराने धमकाने को मैने गलत नहीं माना । प्रदर्श पी 24 का हिस्सा ओ से पी उसने अपने अनुसंधान से सही नहीं पाया । शुभम, मुकेश गुर्जर, वीरसिंह व हेमंत की विक्रम के साथ कोई जानकारी होने का कोई तथ्य उसके अनुसंधान से नहीं आया। यह सही है कि पीडिता बस में बैठकर जयपुर खुद ही गई थी। विक्रम उसे बस में बैठाकर जयपुर नहीं ले गया। कॉल डिटेल की सिम विक्रम के नाम हो ऐसा नही पाया गया। मोटरसाईकिल भी विक्रम के नाम नहीं थी जो उसकी सूचना पर बरामद की थी। जो राजेश कुमार के नाम थी। अजखुद कहा कि बाल अपचारी के फोन में पीडिता व मुकेश गुर्जर का आपत्तिजनक फोटो था। उसने अपने अनुसंधान से पीडिता का अपहरण होना नहीं पाया । पीडिता व वीरसिंह ने होटल में रूकते समय अपने अपने आधार कार्ड दिये थे । उसके अनुसंधान में यह नहीं आया कि विक्रम पूनियां पीडिता को जयपुर ले जाकर अन्य मुलजिमान को सौंपकर आया हो।

32— गवाह पीडब्लू 19 पंकज गढवाल कार्यवाही शिनाख्तगी का गवाह है जिसने अपने बयानो में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 14.10.2020 को वह उपखण्ड अधिकारी के पद पर राजगढ वह पदस्थापित था। उस रोज मुकदमा नंबर 308/2020 वह गिरफतारशुदा मुलजिम राहुल शर्मा उर्फ शुभम शर्मा पुत्र शंकरलाल जाति ब्राहम्ण उम्र 24 साल निवासी नावलाई पोस्ट भागरियावास पुलिस थाना श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर व मुकेश कुमार गुर्जर पुत्र गिरधारीलाल गुर्जर उम्र 24 साल निवासी पापडा पुलिस थाना उदयपुरवाटी जिला झूंझूनू की शिनाख्तगी करवाने हेतु श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उसे उपरोक्त मुलजिमानों की शिनाख्तगी बाबत आदेश कमांक 802 दिनांक 14.10.2020 जारी किया, जो प्रदर्श पी 82 है, जिस पर सी से डी श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर व ए से बी अनुसंधान अधिकारी के शामिल पत्रावली के हस्ताक्षर है। उस रोज उप पुलिस अधीक्षक राजगढ ने भी उसे एक तहरीर कम सं0 2789 दिनांक 15.10.2020 प्रकरण सं0 308/2020 पीएस राजगढ उपरोक्त मुलजिमानों की पहचान हेतु एक तहरीर उसके पास पेश हुई। श्रीमान एसीजेएम के आदेश के आधार पर अनुसंधान अधिकारी ने उसे एक तहरीर प्रकरण में गिरफतारशुदा मुलजिम राहुल उर्फ शुभम व मुकेश कुमार की पहचान बाबत जारी की जो प्रदर्श पी 66 है, जिस पर सी से डी रिसीव्ड के पृष्ठांकन व हस्ताक्षर है। उक्त तहरीर के आधार पर उसने प्रकरण की पीडिता आकांक्षा को उपकारागृह राजगढ में उक्त मुलजिमानों राहुल शर्मा उर्फ शुभम शर्मा पुत्र शंकरलाल जाति ब्राहम्ण उम्र 24 साल निवासी नावलाई पोस्ट भागरियावास पुलिस थाना श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर व मुकेश कुमार गुर्जर पुत्र गिरधारीलाल गुर्जर उम्र 24 साल निवासी पापडा पुलिस थाना उदयपुरवाटी जिला झूंझूनू की शिनाख्तगी हेतु

पेश होने हेतु सूचना दी। सूचना के आधार पर पीडिता आकांक्षा को दिनांक 19.10.2020 को उपकारागृह राजगढ वहं उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया। दिनांक 19.10.2020 को उप कारागृह राजगढ पहुंचकर शिनाख्तगी की कार्यवाही हेतु सब जेल राजगढ के जेलर से शिनाख्तगी की कार्यवाही करने के लिए निर्देशित कर पूर्व में जेल में उपस्थित पीडिता आकांक्षा को शिनाख्तगी हेतु आदेशित किया जिस पर पीडिता आकांक्षा ने अभियुक्त राहुल शर्मा उर्फ शुभम शर्मा पुत्र शंकरलाल जाति ब्राहम्ण उम्र 24 साल निवासी नावलाई पोस्ट भागरियावास पुलिस थाना श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर व मुकेश कुमार गुर्जर पुत्र गिरधारीलाल गुर्जर उम्र 24 साल निवासी पापडा पुलिस थाना उदयपुरवाटी जिला झूंझूनू की अन्य मुलजिमानो के साथ खडे की पहचान ईशारा कर की, जो पहचान मुलजिम राहुल उर्फ शुभम व मुलजिम मुकेश कुमार पुत्र गिरधारीलाल की पहचान परेड की पूर्व में प्रदर्शित प्रदर्श पी 39 व 40 है, जिन पर ए से बी अभियुक्त का नाम व पते का अंकन व सी से डी पीडिता का नाम व पता अंकित है, जी से एच पीडिता के हस्ताक्षर है व ई से एफ अन्य अभियुक्तों के साथ मुलजिमान राहुल उर्फ शुभम व मुकेश पुत्र गिरधारीलाल की अलग अलग लाईन में खडे कर पहचान करवायी गयी, उसका अंकन है व के से एल जेलर के हस्ताक्षर है व आई से जे उसके हस्ताक्षर है व एम से एन मुलजिमान के हस्ताक्षर है। मुलजिम वीर सिंह उर्फ बंटी पुत्र सुवहर सिंह उम्र 31 साल निवासी 3/222 वार्ड नं0 4 हाउसिंग बोर्ड कॉलिनी सूरतगढ की पहचान पीडिता द्वारा उसके साथ रहे कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी है, जिस पर ए से बी अभियुक्त का नाम व पते का अंकन व सी से डी पीडिता का नाम व पता अंकित है, जी से एच पीडिता के हस्ताक्षर है व ई से एफ अन्य अभियुक्तों के साथ मुलजिम वीर सिंह उर्फ बंटी की लाईन में खडे की सही पहचान का अंकन है व के से एल लाईन में खडे व्यक्तियों में से मुलजिम की सही पहचान बाबत अंकन है व आई से जे मुलजिम के हस्ताक्षर है व एम से एन जेलर के हस्ताक्षर है व क्यू से आर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर है, जो उसके अधीनस्थ अधिकारी होने के कारण उनके हस्ताक्षर वह पहचानता है। मुलजिम वीर सिंह उर्फ बंटी, राहुल उर्फ शुभम व मुकेश कुमार पुत्र गिरधारीलाल की शिनाख्तगी बाबत कार्यवाही की प्रमाणित प्रति क्रमशः प्रदर्श पी 67, 68 व 69 है।

33— जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह गलत है कि उसने पहचान परेड प्रारूप पर अपने कार्यालय में बैठकर हस्ताक्षर किये हों।

34— गवाह पीडब्लू 9 अनिता पीडितो को मैडीकल मुआयना हेतु ले जाने की गवाह है, जिसका कथन है कि वह दिनांक 05.10.2020 को पीएस राजगढ मे महिला कानि0 के पद पर कार्यरत थी उस रोज मु0न0 308/2020 पीएस राजगढ मे पीडिता आंकाक्षा कुमारी पुत्री रतनपाल नि0 नवां तह0 राजगढ का सीएचसी राजगढ मे बलात्कार संबंधित मेडिकल मुआयना करवाया था तब पीडिता का पहचान प्रारूप भर कर दिया था उस समय बतौर गवाह उसके हस्ताक्षर किऐ थे। उसी रोज पीडिता आंकाक्षा के धारा 161

सीआरपीसी के बयान सीओ साहब रामप्रताप बिश्नोई की उपस्थिति मे पीडिता आंकाशा के बोल अनुसार कम्पयूटर से उसके द्वारा टाईप किये थे जो बयान प्रदर्श पी 36 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। पीड़िता आकांक्षा का मेडिकल परीक्षण हेतु पहचान फॉर्म भरा था जिस पर ए से बी स्थान पर उसके बतौर गवाह हस्ताक्षर है तथा सी से डी स्थान सीओ साहब के प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर है।

35— जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 5.10.2020 को प्रदर्श पी 37 पर पुलिस थाना में हस्ताक्षर किये थे । पहचान फार्म पर पीडिता की फोटो लगी थी ।

36— पीडब्लू 5 पवन कुमार फर्द गिरफतारी का गवाह है, जिसने सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 08.10.2020 को वृत कार्यालय राजगढ़ में कानि के पद पर कार्यरत था। उस रोज रामप्रताप विश्नोई वृताधिकारी राजगढ़ ने पुलिस थाना राजगढ़ में वक्त 2:20 पीएम पर मुलजिम शुभम शर्मा उर्फ राहूल को बापर्दा गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 11 है। जिस पर ए से बी मुलजिम शुभम उर्फ राहुल व सी से डी उसके हस्ताक्षर है, ई से एफ थानाधिकारी गुरभूपेन्द्र के हस्ताक्षर है। उसी रोज राम प्रताप बिश्नोई वृताधिकारी राजगढ़ में वक्त 3:20 पीएम पर थानापरिसर राजगढ़ में मुलजिम मुकेश कुमार गुर्जर को बापर्दा गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी प्रदर्श पी 12 है। जिस पर ऐ से बी स्थान पर मुलजिम मुकेश, सी से डी उसके व ई से एफ नवीन कानि के हस्ताक्षर है। दिनांक 09.10.2020 को राम प्रताप बिश्नोई वृताधिकारी राजगढ़ द्वारा मुलजिम विक्रम सिंह की मुताविक इतला मकान मौजा सुरतपुरा में एक मोटर साईकिल काले रंग की खड़ी थी जिसके हाथ लगाकर बताया कि इसी मोटर साईकिल से दिनांक 24.09.2020 को मैं कुमारी आकांक्षा निवासी नवां को बस स्टेण्ड राजगढ़ से मकान पर ले गया था जिसका निरीक्षण किया जो मोटर साईकिल के नं. आर जे 10 एसएन 5088 थे जिसका निरीक्षरण कर जरिये फर्द जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 13 है, जिस पर ए से बी स्थान पर मुलजिम विक्रम, सी से डी उसके व ई से एफ सज्जन कानि के हस्ताक्षर है। मोटर साईकिल बरामदगी का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 14 है, जिस पर ए से बी स्थान पर मुलजिम विक्रम, सी से डी उसके व ई से एफ सज्जन कानि के हस्ताक्षर है। दिनांक 26.10.2020 को रामप्रताप बिश्नोई वृताधिकारी राजगढ़ ने एक डीवीडी सीसीटीवी कैमरा की रिर्कोडिंग आरोपी देवेंद्र ने लाकर पेश की जिसको जरिये फर्द जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 15 है जिस पर ए से बी स्थान पर आरोपी देवेंद्र, सी से डी उसके व ई से एफ सज्जन कानि के हस्ताक्षर है।

37— जिरह में इस गवाह का कथन है कि प्रदर्श पी 13 से जब्त मोटरसाईकिल वाले घर पर कब्जा किसका था उसे जानकारी नहीं है। घर के स्वामित्व बाबत कोई अनुसंधान अनुसधान अधिकारी ने नहीं किया।

38— गवाह पीडब्लू 13 सुभाष चन्द्र जब्ती का गवाह है, जिसने सशपथ कथन

किया है कि वह दिनांक 08.11.2020 को पीएस राजगढ मे एचसी के पद पर तैनात था। उस रोज सीओ साहब श्रीरामप्रताप जी विश्नोई ने मुकदमा नंबर 308/2020 मे मुलजिम वीरसिंह उर्फ बंटी को उसके सामने थाना परिसर मे गिरफतार कर फर्द गिरफतारी तैयार की जो प्रदर्श पी 41 है जिस पर ए से बी स्थान पर मुलजिम वीरसिंह उर्फ बंटी के हस्ताक्षर, सी से डी उसके व ई से एफ अनिल कानि0 के हस्ताक्षर है। उसी रोज मुलजिम वीरसिंह उर्फ बंटी ने वरवक्त घटना दिनांक 24.09.2020 को अपने पास मोबाइल होना बताया जो मोबाइल फोन रेडमी कंपनी का बरंग नीला जिसमे वोडाफोन कपंनी की सिम 9610561480 व जिओ कंपनी की सिम 6378849500 थी जो फोन इस्तेमाली था जिसका अवलोकन कर अनुसंधान अधिकारी रामप्रताप विश्नोई ने एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर मार्क 'ज' अंकित कर जरिए फर्द जब्त किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 42 है जिस पर ए से बी स्थान पर मुलजिम वीरसिंह उर्फ बंटी के हस्ताक्षर, सी से डी उसके व ई से एफ अनिल कानि0 के हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थानो पर नमूना सील का अंकन है।

39— जिरह में इस गवाह का कथन है कि वीरसिंह की गिरफतारी के समय फोन उसके पास ही था। जिसमें वोडाफोन और जियो कम्पनी की दो सिम थी।

40— गवाह पीडब्लू 14 सज्जन सिंह जब्ती का गवाह है जिसका सशपथ कथन है कि दिनांक 09.10.2020 को वह वृत कार्यालय राजगढ मे कानि0 के पद पर कार्यरत था। उस रोज वृताधिकारी रामप्रताप विश्नोई ने मुलजिम विक्रम सिह के मुताबिक इतला मुलजिम के रिहायशी मकान गांव सुरतपुरा से एक मोटरसाईकिल आरजे 10 एसएन 5088 बरंग काला का अवलोकन कर जरिए फर्द जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 13 है जिस पर ए से बी मुलजिम, सी से डी पवन कानि व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। बरामदगीस्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 14 है जिस पर ए से बी मुलजिम, सी से डी पवन कानि व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 26.10.2020 को नामजद आरोपी देवेंद्र ने एक डीवीडी सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग रामप्रताप जी के समक्ष पेश की जिन्होनें अवलोकन कर जरिए फर्द जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 15 है जिस पर ए से बी आरोपी देवेंद्र, सी से डी पवन कानि व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 14.12.2020 को मोटरसाईकिल नंबर आरजे 10 एसएन 5088 के रजि0 मालिक राजेश कुमार पुत्र महिपाल निवासी सुरतपुरा ने मोटरसाईकिल की मूल आरसी वृताधिकारी राजगढ के समक्ष पेश की थी जिन्होनें अवलोकन कर मुकदमे का वजह सबूत होने के कारण जरिए फर्द जब्ती की जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 43 है जिस पर ए से बी स्थान पर राजेश कुमार के, सी से डी उसके व ई से एफ यशवीर के हस्ताक्षर है।

41— जिरह में इस गवाह का कथन है कि प्रदर्श 13 से जिस घर से मोटरसाईकिल जब्त की उस घर के स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज मौका से नहीं किया और न ही पंच सरंपच से उस रिहायशी घर के स्वामित्व बाबत कोई पूछताछ की ।

42— गवाह पीडब्लू 15 मनोज कुमार मालखाना इन्चार्ज है जिसका कथन है कि वह दिनांक 06.10.2020 को पुलिस थाना राजगढ मे मालखाना सहा. के पद पर कार्यरत था। उस रोज रामप्रताप विश्नोई वृताधिकारी राजगढ ने मुकदमा नंबर 308/2020 का सील्डसुदा पैकेट मार्क क व ख लाकर मुझे संभलाए जो उसने मालखाना रजि0 के क्रमांक संख्या 533/2020 पर इंद्राज कर जमा मालखाना किया तथा दिनांक 07.10.2020 को अनुसंधान अधिकारी ने मुकदमा का सील्डसुदा वजह सबूत पैकेट मार्क ग व घ लाकर जमा करवाया तथा दिनांक 08.10.2020 को सील्डसुदा पैकेट मार्क बी मुलजिम के लिए गए सैम्पल सीएचसी राजगढ से प्राप्त हुए तथा उसी रोज मुलजिम शुभम शर्मा व मुकेश गुर्जर की जामा तलाशी व सील्डसुदा पैकेट मार्क च लाकर संभलाई जो उसने मालखाना रजि0 मे इंद्राज कर जमा मालखाना किया तथा दिनांक 09.10.2020 को एक मोटरसाईकिल आरजे 10 एसएन 5088 लाकर उसे दी जों उसने मालखाना रजि0 मे इंद्राज कर जमा मालखाना की तथा दिनांक 10.10.2020 को एक सील्ड पैकेट मार्क ए, सी, डी, ई व तीन सील्डसुदा लिफाफे सीएचसी राजगढ से प्राप्त हुए जिन्हें जमा मालखाना किया। दिनांक 08.11.2020 को एक सील्ड पैकेट मार्क एफ सीएचसी राजगढ से प्राप्त हुआ जिसे रजि0 मे इंद्राज किया व सील्डसुदा पैकेट मार्क जी लाकर दिया तथा जामा तलाशी से मिला सामान मोबाइल, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, डीएल आदि उसे संभलाए जो उसने मालखाना रजि0 मे इंद्राज कर जमा मालखाना किया। मूल मालखाना रजि0 साथ लाया हूं जो प्रदर्श पी 44 है जिस पर ए से बी वजह सबूत जमा करने का अंकन, सी से डी स्थान पर मुकदमा का अंकन व जमा करवाने वाले अधिकारी का नाम है, ई से एफ जमा करवाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर है। दिनांक 02.12.2020 को थानाधिकारी के आदेशानुसार मुकदमा का सील्डसुदा वजह सबूत पैकेट मार्क क, ग, घ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ व तीन एफटीए कार्ड मय चिठी के कागजात सिकंदर कानि0 को देकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक कार्यालय चूरू से अग्रेषण पत्र जारी करवाकर एफएसएल मे जमा करने हेतु मालखाना रजि0 मे इंद्राज कर संभलाए जिसका जी से एच स्थान पर इंद्राज है। एफएसएल मे ऐतराज होने के कारण दिनांक 04.12.2020 को जारीशुदा चिठी मे ऐतराज होने के कारण सिल्डसुदा वजह सबूत वापिस लाकर संभलाए जिसका उसने आई से जे स्थान पर इंद्राज कर जमा मालखाना किया तथा दिंनाक 09.12.2020 को थानाधिकारी के आदेशानुसार मुकदमा का सील्डसुदा वजह सबूत पैकेट मार्क क, ग, घ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ व तीन एफटीए कार्ड मय चिठी के कागजात सिकंदर कानि0 को देकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक कार्यालय चूरू से अग्रेषण पत्र जारी करवाकर एफएसएल मे जमा करने हेतु मालखाना रजि0 मे इंद्राज कर संभलाए जिसका के से एल स्थान पर इंद्राज है। उसी रोज सिकंदर कानि0 की जिला प्रमुख के चुनाव मे ड्यूटी लगने के कारण जारीशुदा चिठी मय वजह सबूत लाकर मुझें संभलाया जो उसने एम से एन स्थान पर इंद्राज कर जमा मालखाना किया। दिनांक 10.12.2020 को सील्डसुदा वजह सबूत मय चिठी के कागजात व जारीशुदा अग्रेषण पत्र देकर सिकंदर कानि0 को एफएसएल कार्यालय जयपुर मे जमा

करवाने हेतु संभलाया जिसका ओ से पी स्थान पर इंद्राज किया गया तथा दिनांक 13.12.2020 को सिकंदर कानि0 एफएसएल मे सिल्डसुदा वजह सबूत जमा करवाकर प्राप्ति रसीद व अग्रेषण पत्र की प्रति लाकर उसे संभलाई जिसका उसने क्यू से आर स्थान पर इंद्राज कर एफएसएल प्राप्ति रसीद व अग्रेषण पत्र की प्रति संबंधित अनुसंधान अधिकारी को संभला दी, एस से टी स्थानो पर उसके हस्ताक्षर है, यू से वी स्थान पर सिकंदर कानि0 के हस्ताक्षर है। मालखाना रजि0 की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर प्रदर्श पी 44ए है।

43— जिरह में इस गवाह का कथन है कि यह कहना सही है कि वजह सबूत वास्ते एफ एस एल काफी देरी से भेजा गया था। प्रदर्श पी 44 की प्रविष्टि संख्या 16 से 18 किस अधिकारी द्वारा दर्ज करवाई गई वह नहीं बता सकता।

44— गवाह पीडब्लू 6 सिकन्दर कैरियर का गवाह है, जिसका कथन है कि वह दिनांक 02.12.2020 को पुलिस थाना राजगढ मे कानि0 के पद पर कार्यरत था। उस रोज थानाधिकारी के आदेशानुसार मुकदमा नंबर 308/2020 का सीलडसुदा वजह सबूत पैकेट मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ, क, ग, घ, मय चिठी के कागजात देकर एफएसएल जयपुर मे जमा करवाने व श्रीमान पुलिस अधीक्षक चूरू से अग्रेषण पत्र जारी करवाने के लिए मालखाना रजिस्टर मे इंद्राज कर मालखाना इंचार्ज ने उसे संभलाया। वह मुकदमा का सील्डसुदा वजह बसूत मय चिठी के कागजात लेकर एसपी कार्यालय चूरू पहुंचकर अग्रेषण पत्र जारी करवाकर एफएसएल जयपुर मे जमा करने हेतु गया। जहां पर ऐतराज होने के कारण वापिस लौटा दिया जो उसने दिनांक 04.12.2020 को मुकदमा का वजह सबूत व चिठी के कागजात व अग्रेषण पत्र वापिस लाकर मालखाना इंचार्ज को मालखाना रजिस्टर मे इंद्राज कर जमा करवाया तथा दिनांक 09.12.2020 को मुकदमा का सील्डसुदा वजह सबूत पैकेट मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ, क, ग, घ, मय चिठी के कागजात देकर एफएसएल जयपुर मे जमा करवाने व श्रीमान पुलिस अधीक्षक चूरू से अग्रेषण पत्र जारी करवाने के लिए मालखाना रजिस्टर मे इंद्राज कर मालखाना इंचार्ज ने उसे संभलाया। वह मुकदमा का सील्डसुदा वजह सबूत मय चिठी के कागजात लेकर एसपी कार्यालय चूरू पहुंचकर अग्रेषण पत्र जारी करवाकर वापिस उसी रोज मालखाना इंचार्ज को संभलाकर मालखाना मे जमा करवाया तथा दिनांक 10.12.2020 को मुकदमा का सील्डसुदा वजह सबूत पैकेट मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ, क, ग, घ, मय चिठी के कागजात व अग्रेषण पत्र मालखाना रजिस्टर मे इंद्राज कर प्राप्त की तथा दिनांक 11.12.2020 को एफएसएल जयपुर मे मुकदमा का वजह सबूत जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर दिनांक 13.12.2020 को वापिस थाना पहुंचकर मुकदमा मे वजह सबूत जमा करवाने की प्राप्ति रसीद व अग्रेषण पत्र की प्रति मालखाना रजिस्टर मे इंद्राज कर मालखाना इंचार्ज को संभलाई। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 16 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके, सी से डी स्थान पर अति0 पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर है। एफएसएल प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 17 है। उसकी रवानगी व आमद की रोजनामचा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 18, 19, 20,

21, 22, 23 है जिस पर ए से बी प्रमाणिकरण के हस्ताक्षर है। वह मालखाना से वजह सबूत लेकर गया व वापिस आकर जमा करवाया उस पर उसके हस्ताक्षर किए थे। उसके पास मुकदमा का वजह सबूत रहा तब तक सील्ड व सुरक्षित हालात मे रहा।

45— जिरह में इस गवाह का कथन है कि मालखाना रजिस्टर में दिनांक 3.10.2020 को वास्ते एफ एस एल सैम्पल ले जाने की दिनांक अंकित नहीं है।

46— गवाह पीडब्लू 17 चम्पालाल फौरेंसिक यूनिट प्रभारी है, जिसने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 07.10.2020 को वह प्रभारी मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट जयपुर शहर के पद पर कार्यरत था। उस रोज उसे सरकारी मोबाइल पर पुलिस कंट्रोल रूम जयपुर शहर से सूचना मिली कि वृताधिकारी राजगढ जिला चूरू के साथ पुलिस थाना जालुपुरा जयपुर के अंतर्गत एक होटल मे घटनास्थल का निरीक्षण किया जाना है। जिस पर वह टीम सदस्य श्री पूर्णमल शर्मा व सुरेंद्र सैनी के साथ राजकीय वाहन से रवाना होकर समय लगभग 6:10 पीएम पर घटनास्थल होटल पहुंचा। घटनास्थल सिंधी कैम्प बस स्टेण्ड के सामने वनस्थली मार्ग पर स्थित होटल रॉयल शिव पैलेस के फर्स्ट फलोर पर कमरा नंबर 206 मे पाया गया। घटनास्थल कमरे मे बेड पर सफेद चादर बिछी पाई गई जिस पर तकिया व कंबल भी पाया गया। इस चद्दर पर धब्बे होना पाया गया। अनुसंधान अधिकारी/वृताधिकारी राजगढ चूरू द्वारा होटल स्टाफ से अन्य चदरे मंगवाई गयी। जिनमे से पीडिता द्वारा एक चद्दर पहचान किया जाना बताया गया। इस चद्दर पर भी धब्बे पाए गये। घटनास्थल कमरे के फर्श पर बाल पाये गए। इस संबंध मे अनुसंधान अधिकारी को दोनो चद्दर व बाल का डीएनए परीक्षण करवाए जाने हेतु घटनास्थल पर ही सलाह दी गई। इस संबंध मे उसके द्वारा दी गई घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 45 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक सुरेंद्र सैनी के हस्ताक्षर है जिनके हस्ताक्षर उसके साथ कार्य करने के कारण पहचानता हूं। घटनास्थल से उसके द्वारा सरकारी कैमरे से लिए गये फोटोग्राफ प्रदर्श पी 46 लगायत 53 है जिन पर ए से बी उसके प्रमाणिकरण के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दी गई घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट, उप निदेशक एफएसएल जयपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक चूरू को दिया गया जो प्रदर्श पी 54 है जिस पर ए से बी उप–निदेशक के हस्ताक्षर है। उक्त पत्र के साथ संलग्न केस विवरण का पत्र है। उसके द्वारा दिया गया धारा 65बी का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 55 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सील मोहर है।

47— जिरह में इस गवाह का कथन है कि यह सही है कि उसने घटनास्थल पर निरीक्षण के दौरान रफ नोट बनाये थे जो पत्रावली पर नहीं हैं।

48— पीडब्लू 8 राजेश का बयान है कि वह गांव सूरतपुरा का निवासी है। वह टीपीएस कार्गो मूवर्स एवं पैकर्स दिल्ली मे काम करता था। लॉकडाउन होने के कारण वह अपने गांव सूरतपुरा आकर रहने लगा। उसके बाद वह खेतीबाडी करने लगा। विक्रम सिंह पुत्र महेंद्र सिंह जाति जाट निवासी सूरतपुरा उसके गांव का है लेकिन उसका घर पडौसी

नही है। उसने विक्रम सिंह को उसके मूल निवासी प्रमाण पत्र से कभी कोई सिम लाकर नही दी। उसके पास मोटरसाईकिल नंबर आरजे 10 एसएन 5088 थी। जिसका वह रजिस्टर्ड मालिक था। यह गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है और जिरह में इस गवाह इस बात को गलत बताया है कि उसने विक्रमसिंह को उसके निवास प्रमाण पत्र से एयरटेल की सिम नम्बर 9784736032 लाकर दी हो और विक्रमसिंह उसको उपयोग में लेता हो ।

Appreciation of Evidence

49— इन समस्त अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य का पुनः परिशीलन किया जावे तो भा0दं0सं0 की धारा 375 भा0दं0सं0 में बलात्संग को परिभाषित करते हुए प्रावधान किया गया है कि—

Sec. 375. Rape- A man is said to commit "rape" if he-

(A)---

(B)---

(C)---

(D)---

under the circumstances falling under any of the following seven descriptions:-

First- Against her will.

Secondly- Without her consent.

Thirdly- With her consent, when her consent has been obtained by putting her or any perosn in whom she is interested, in fear of death or of hurt.

Fourthly- With her consent, when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married.

Fifthly- With her consent when, at the time of giving such consent, by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwolesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent.

Sixthly- With or without her consent, when she is under eighteen years of age.

Seventhly- When she is unable to communicate consent.

50— उक्त विधिक प्रावधानों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि यदि कोई पुरूष किसी स्त्री की इच्छा या सम्मति के विरूद्ध अथवा उसकी सम्मति से जबकि उसकी

सम्मति उससे हितबद्ध व्यक्ति को मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है, उपरोक्तानुसार वर्णित कोई कार्य करता है तो वह बलात्संग करता है।

51— हस्तगत प्रकरण में पीडिता ने दिनांक 24.09.2020 को अपने गांव नवां से राजगढ एसएससी का फार्म भरवाने के लिए बस से राजगढ आने, वहां उसका पूर्व परिचित विक्रम पूनियां के मिलने, एस एस सी का फार्म भरने में उसकी मदद करने के लिए उसे विश्वास में लेकर देवेन्द्र आदि तीन अन्य लडकों के साथ कार में बैठाकर उसे एक मकान मे ले जाने, जहां पर उसके साथ चारों द्वारा जबरदस्ती बलात्कार करने, कमरा बंद कर जबरदस्ती उसकी फोटो व फिल्म बनाने, उसे जान से मारने की धमकी देने कि हो—हल्ला करने व किसी को बताने पर उसको व उसके परिवारवालो को मरवा देने, बाद में उसे कुछ खिला—पिला कर बेहोश कर जयपुर मे शिवा पैलेस होटल में ले जाने, वहां अभियुक्त बंटी, राहुल, सुभम, हेमंत, मुकेश गुर्जर द्वारा उसे कॉल्डड्रिंक जैसा पदार्थ पिलाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार बलात्कार करने, अगले दिन होश आने पर उसके पास मुकेश गुर्जर के होने और उसके द्वारा उसे करीब एक सप्ताह तक डरा धमका कर नशीला पदार्थ देकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करते रहने और उसकी नग्न फोटो व विडियो दिखाकर बदनाम करने की धमकी देकर एक सप्ताह तक नीम का थाना के एक गांव में रखने का स्पष्ट कथन किया है।

52— जिरह में इस गवाह की साक्ष्य जान से मारने की धमकी देकर सामूहिक बलात्कार करने के बारे में पूर्णतया अखण्डनीय रही है। जिरह में इस गवाह की साक्ष्य से ऐसी कोई बात उभरकर नहीं आई है जिससे उसके इन कथनो पर संदेह उत्पन्न हो कि अभियुक्तगण ने उसे धमकी देकर जबरन उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। जिरह में इस गवाह द्वारा स्पष्ट कथन किया गया है कि उसे जयपुर कार में जबरदस्ती ले जाया गया और विक्रम पूनियां और देवेन्द्र पूनियां ने उसके पांव पकड रखे थे। कार के अन्दर उसके साथ जबरदस्ती छीना झपटी हुई थी। उसे कम होश था इसलिए उसने रास्ते में बचाने के लिए आवाज नहीं लगाई। उसे नशीला पदार्थ पकड पकड कर पिलाते रहे। कमरे में उसे कोल्ड ड्रिक पिलाई जिससे वह बेहोश हो गई। विक्रम पूनियां को वह पहले से जानती थी क्योंकि उसका खेल के दौरान कोटा में पहले उससे परिचय हुआ था।

53— इस गवाह के कथनो की ताईद पीडब्लू 10 रतनपाल जो कि पीडिता का पिता है, ने भी की है। हालांकि यह गवाह अनुश्रुत साक्षी है और उसके द्वारा अपनी पुत्री द्व ारा अपने भाई को बताये अनुसार उससे सुनने के आधार पर ही घटना की ताईद की है। ठीक इसी तरह की साक्ष्य अनुश्रुत साक्षी पीडब्लू 11 कृष्ण कुमार ने पीडिता द्वारा उसे बताये अनुसार दी है परन्तु पीडिता स्वंय के उपरोक्त कथनो से यह भलीभांति साबित हो रहा है कि अभियुक्त विक्रम पूनियां द्वारा एस एस सी का फर्म भरने में उसकी उसकी मदद करने का आश्वासन देने पर वह कार में उसके साथ गई परन्तु बाद में उसे जबरदस्ती बेहोश कर जयपुर ले जाकर उसके साथ अभियुक्तगण द्वारा धमकी देकर

बलात्कार का अपराध कारित किया गया और उस समय उसकी इच्छा व सम्मति नहीं थी फिर भी एक क्षण के लिए यह मान लिया जावे कि पीडिता एक सहमत पक्षकार थी तो उसकी साक्ष्य से यह भलीभांति साबित हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा बलात्कार का अपराध कारित करते समय पीडिता की सम्मति उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने और बाद में भी उसके नग्न फोटो व विडियो से उसे बदनाम करने की धमकी देकर सम्मति प्राप्त की गई है जिस कारण पीडिता की अपराध में कोई सम्मति हो ऐसा कहीं पर भी साबित नहीं हो रहा है और यह साबित हो रहा है कि सम्मति उसे व उसके परिवार वालों को जान से मारने और नग्न फोटो व विडियो से उसे बदनाम करने की धमकी देकर प्राप्त की गई है जैसा कि न्यायिक दृष्टांत State of H.P. Mango Ram, 2000(3) Crimes 179(SC) में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि Submission under the influence of fear of terror is not consent and will not exonerate a person from liability. इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत 1992 M.P.L.J.35:(1992)1 Hindu L.R. 544:(1992) 1Rec.Cr.R.569(D.B.) में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि The victim of rape stating on oath that she was forceibly subjected to sexual intercourse or that the act was done without her consent, has to be believed and accepted like any other testimony unless there is meterial available to drawa an inference as to her consent or else the testimony of prosecutrix is such as would be inherently improbable.

54— इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(क) में निम्न प्रावधान किया गया है—

114 A Presumption as to absence of consent in certain prosecution for rape- In a prosecution for rape under clause (a), clause (b), clause (c), clause (d), clause (e), clause (f), clause (g), clause (h), clause (i), clause (j), clause (k), clause (l), clause (m), or clause (n) of sub-section (2) of section 376 of the Indian Penal Code (45 of 1860), where sexual intercouse by the accused is proved and the question is whether it was without the consent of the woman alleged to have been raped and such woman states in her evidence before the court that she did not consent, the court shall presume that she did not consent.

55— उक्त विधिक प्रावधान का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि यदि पीडिता द्वारा बलात्संग के मामले में यह कथन किया जाता है कि उसने सम्मति नहीं दी थी वहां

न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम रोशन खान 2014(2) एस सी सी 476 में प्रतिपादित किया गया है कि Hon'ble Supreme Court in the case of State of Rajasthan Vs. Roshan Khan and others, (2014) 2 SCC 476 has held that where sexual intercourse by the accused is proved and the question is whether it was without consent of woman alleged to have been raped, and she states that she did not consent, the Court shall presume that she did not consent.

56— हस्तगत प्रकरण में भी पीडिता द्वारा अभियुक्तगण द्वारा उसे व उसके परिवार वालों को जान से मारने और उसकी नग्न फोटो व विडियो से उसे बदनाम कर देने की धमकी देकर बलात्संग के अपराध को कारित करने में सम्मति नहीं देने का कथन किया है जिस कारण यह उपधारणा कर सकेगा कि पीडिता ने अपराध हेतु अपनी सम्मति नहीं दी अभियुक्तगण की ओर से इस तरह की कोई साक्ष्य व बचाव में लेशमात्र भी कोई कथन नहीं किया गया है जिसके आधार पर उक्त उपधारणा का कोई खण्डन होता हो।

57— इस प्रकार के मामलों में केवलमात्र पीडिता के बयानो के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है। इस हेतु किसी सम्पुष्टिकारक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती बशर्ते कि पीडिता की साक्ष्य विश्वसनीय व जिरह में अखण्डनीय रही हो और उसकी अभियुक्त से कोई द्वेषता साबित नहीं हो जैसा कि न्यायिक दृष्टांत Udai Bahadur v. State of UP, 2006(1) Crimes 753(All); Sukhda Anand v. State of H.P.,2006(1) Crimes 774 (DB)(HP); Narinder Singh v. State of H.P., 2006(1) Crimes 789(DB) (HP). में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि In an offence of rape conviction could be recorded more on sole testimony of prosecutrix provided it inpired confidence and did not suffer from basic infgirmity.

58— इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत State of H.P. v. Asha Ram, 2005(4) 269(SC). में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि in rape case conviction could be based on single testimony of prosecutrix provided Court was satisfied that same was reliable and inspired confidence.

59— इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत State of maharastra v/s Chandar prakash kevalchand AIR 1990 SC 658 में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "A prosecutrix of a sex offence cannot be put on par with an accomplice. She is in fact a victim of the crime. The

Evidence Act nowhere says that her evidence cannot be accepted unless it is corroborated in material particulars. She is undoubtedly a coompetent witness under Section 118 and her evidence must receive the same weight as is attached to an injured in cases of physical violence. The same degree of care and caution must attach in the evaluation of her evidence as in the case of an inured complainant or witness and no more. What is necessary is that the Court must be alive to and conscious of the fact that it is dealing with the evidence of a person who is interested in the coutcome of the charge levelled by her. If the Courts keeps this in mind and feels satisfied then it can act on the evidence of the prosecutrix; there is no rule or law or practice incorporated in the Evidence Act similar to illustration (b) to Section 114 which requires it to look for corroboration. If for some reason the Court is hesitant to place implicit reliance on the testimony of the prosecutrix, it may look for evidence which may lend assurance to her testimony short of corroboration required in the case of an accomplice. The nature of evidence required to lend assurance to the testimony of the prosecutrix must necessarily depend on the facts and circumstances of each case. But if a prosecutrix is an adult and of full understanding, the Court is entitled to base a conviction on her evidence unless the same is shown to be infirm and not trustworthy. If the totally and the circumstances appearing on the record of the case disclose that the prosecutrix does not have a strong motive to falsely involve the person charged, that Court should ordinarily have no hesitation in accepting her evidence."

60— हस्तगत प्रकरण में भी पीडिता की साक्ष्य विश्वसनीय तथा जिरह में पूर्ण रूप से अखण्डनीय रही है और अभियुक्तगण को विद्वेषतापूर्वक फंसाने की कोई साक्ष्य नहीं है।

61— अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पीडिता के मिलनें के दो दिन बाद देरी से दर्ज करवाई गई है और देरी का कोई स्पष्टीकरण पत्रावली पर नहीं है, न्यायालय के विनम्र मत में कतई चलने योग्य नहीं है क्योंकि पीडब्लू 10 रतनपाल जो कि पीडिता का पिता है उसका स्पष्ट कथन है कि उसकी बेटी मानसिक रूप से अस्वस्थ थी इसलिए मुकदमा 5 तारीख को दर्ज करवाया और यह स्वाभाविक है कि जब किसी की बेटी के साथ बलात्कार जैसी घटना हो जाये तो बेटी व परिवार की मानसिक स्थिति परिवार की इज्जत को लेकर उलझनपूर्ण हो जाती है और वैसे पीडिता की गुमशुदगी रिपोर्ट पहले ही दर्ज करवा दी गई थी, पीडिता स्वंय का कथन है कि जब उसे ले जाया गया तो उसके पास फोन नहीं था और उसके बरामद होने के बाद उसकी मानसिक स्थिति ठीक होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। ऐसी स्थिति में इन गवाहान की साक्ष्य से स्वमेव यह भलीभांति साबित हो रहा है कि पीडिता के पास फोन नहीं होने और उसके बंधक बनाये होने के कारण वह अपने परिवारजनो को सूचना नहीं दे सकी और उसकी बरामदगी के बाद उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी

इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में देरी हुई है और अभियोजन ने उपरोक्तानुसार इसका संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया है। अतः उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के विनम्र मत में देरी इतनी भी ज्यादा नहीं है जिससे अभियोजन कहानी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडता हो।

62— अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि गवाहान के कथनो में भारी विरोधाभास है, न्यायालय के विनम्र मत में कतई चलने योग्य नहीं है क्योंकि न्यायालय के विनम्र मत में पीडिता के कथनो में ऐसा कोई तात्विक भारी विरोधाभास नहीं आया है कि उसको बंधक बनाकर रखने और उसकी इच्छा के बिना जबरन उसके साथ सामूहिक बलात्कार न किया गया हो जिससे अभियोजन कहानी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडे।

63— इस संबंध में जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत Sudhansu Sankar Sahoo v. State of Orissa, 2003(1) Cirmes 452(SC) न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि It has been laid down in several decisions and in the case of Sunil Kumar v. The State Government of NCT of Delhi, (2004) 1 SCC1055;[See also Binay Kumar Sinha @ Chitru v. State of Bihar, 2006(1) Crimes 635(Pat). DB. that the Court can and may believe on the testimony of a single witness provided if he is reliable and there is no impediment in convicting a person in the sole testimony of the single witness. The Court is concerned with the quality and not on the quantity of the evidence which is necessary for proving or disproving the fact. There may be some minor contradictions, inconsistency, ex-aggregatinos and embellishment in the minor details but that is not enough to demolish the prosecution case.

64— अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि अवसर उपलब्ध होने के बावजूद पीडिता द्वारा बचने का कोई प्रयास नहीं किया जाना और उसके गुप्तांग या शरीर पर किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आना स्वमेव पीडिता की सम्मति को व्यक्त कर रहा है, न्यायालय के विनम्र मत में कतई चलने योग्य नहीं है। यह सही है कि पीडिता स्वंय ने जिरह में थोडा बहुत बचने का प्रयास किया जाना कथन किया है और दो अभियुक्तगण द्वारा उसके पांव दबाये होना, छीना झपटी होने का भी कथन किया है परन्तु साथ ही उसका स्पष्ट कथन है कि उसे अक्सर जबरदस्ती पकडकर नशा खिलाकर बेहोश रखा गया और फिर जैसा कि उपर विवेचन किया जा चुका है कि पीडिता की सम्मति उसे व उसके परिवार वालों को जान से मारने का भय दिखाकर व उसके नग्न फोटो व विडियो

से बदनाम करने की धमकी देकर प्राप्त की गई है। यही स्पष्टीकरण पीडिता के शरीर व उसके प्राईवेट पार्ट पर कोई चोट आदि नहीं होने का पीडिता द्वारा दिया गया है।

65– जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुगण के इस तर्क का प्रश्न है कि अभियुक्त वीरसिंह उर्फ बंटी की पहचान परेड साबित नहीं है और इसको लेकर गवाहान कथनो में विरोधाभास है तो सर्व प्रथम अभियुक्त विक्रम पीडिता का पूर्व परिचित रहा है। दूसरा अभियुक्त वीरसिंह उर्फ बंटी को बापर्दा गिरफतार किया जाना अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य से साबित है। इनकी पहचान परेड पीडब्लू 19 पंकज गढवाल ने नियमानुसार करवाकर दस्तावेज प्रदर्श 38 व 40 को साबित किया है जिनके अनुसार पीडिता ने इन मुलजिमा की सही पहचान की है और इस संबंध में गवाहान के बयानो में कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है।

66 अभियुक्तगण विक्रम, राहुल उर्फ शुभम व वीरसिंह उर्फ बंटी द्वारा पीडिता के साथ बलात्कार करने की पुष्टि इस तथ्य से भी हो रही है कि पीडिता का अण्डरवीयर, अभियुक्त विक्रम व वीरसिंह उर्फ बंटी के अण्डरवियर और उनके लिंग से स्वाब के सैम्पल लिये गये हैं और जिस होटल के बैड पर अभियुक्तगण द्वारा पीडिता के साथ बलात्कार किया गया उसकी दो चादर एक तोलिया को बतौर वजह सबूत कब्जे में लेकर जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 74 के अनुसार पीडिता के अण्डरवियर व विक्रम तथा वीरसिंह उर्फ बंटी के अण्डरवियर और लिंग के स्वाब व ब्यूपिक हैयर पर मानव वीर्य होना पाया गया है और पीडिता के अण्डर वियर, बैड के चादरों तोलियों पर मानव वीर्य होना पाया गया है इसलिए और वीर्य मौजूद होना नहीं पाया जाता तो इससे भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है जैसा कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की उक्त रिपोर्ट में निम्न राय अंकित है कि–

67- "The alleles of male DNA profile obtained from exhibit no. 41 (Blood sample of accused Mukesh Kumar gurjar on FTA card) are matching with the amplified alleles of male DNA profile obtained from exhibit no. 1 (Underwear/Panty of victim), 21 (Underwear of accused Mukesh Kumar gurjar) and 22 (Swab from glans penis of accused Mukesh Kumar gurjar). The alleles of female DNA profile obtained from exhibit no. 5 (Blood sample of victim on FTA card) are matching with the amplified alleles of DNA profiles obtained from exhibit no. 1 (Underwear/Panty of victim), 21 (Underwear of accused Mukesh Kumar gurjar), 22 (Swab from glans penis of accused mukesh kumar gurjar) and 36(Toliya/Towel) (Table-1). The male DNA profile obtained from exhibit no. 13 (Blood sample of accused Vikram on FTA card) is matching with the male DNA profiles obtained from exhibits no. 11 (Swab from glans penis of accused Vikram) and 36 (Toliya /Towel). The male DNA profile obtained from exhibit no. 33 (Blood sample of accused Veer Singh

on FTA card) is matching with the male DNA profiles obtained from exhibits no. 31 (Underwear of accused Veer Singh) and 32 (Pubic hair of accused Veer Singh). The male DNA profile obtained from exhibit no. 40 (Blood sample of accused Shubham Sharma urf Rahul on FTA card) is matching with the DNA profile obtained from exhibit no. 39 (Bunch of Hairs from crime scene). The DNA profiles obtained from exhibit no. 5 (Blood sample of victim on FTA card), 13 (Blood sample of accused Vikram on FTA card), 33 (Blood sample of accused Veer Singh on FTA card), 40 (Blood sample of accused Shubham Sharma urf Rahul on FTA card), 41(Blood ample of accused Mukesh Kumar gurjar on FTA card), 42 (Blood sample of accused Hemant on FTA card) are not matching with the DNA profiles obtained from exhibits no. 37 (Chaddar) and 38 (Chaddar).
7. Since, semen and blood could not be detected on exhibits no. 2 (Vaginal swab of victim), 3 (Vaginal swab slide of victim), 4 (Pubic hair of victim), 12 (Pubic hair of accused Vikram), 16 (Underwear of accused Shubham Sharma urf Rahul), 17 (Swab from glans penis of accused Shubham Sharma urf Rahul), 18 (Pubic hair of accused Shubham Sharma urf Rahul), 23 (Pubic hair of accused Mukesh Kumar gurjar), 26 (Underwear of accused Hemant), 27 (Swab from glans penis of accused Hemant), 28 (Pubic hair of accused Hemant) and incomplete male DNA profile obtained from exhibit no. 10 (Underwear of accused Vikram); hence, no opinion could be drawn regarding DNA examination on these exhibits."

68– इस संबंध में न्यायालय के विनम्र मत में एफ एस एल रिपोर्ट अथवा मैडीकल रिपोर्ट सम्पुष्टिकारक साक्ष्य होती है। जहां कि बलात्कार की घटना की पीडिता द्वारा पूर्णतया ताईद की गई हो, उसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं हो, जिरह में साक्ष्य पूर्णतया अखण्डनीय रही हो, अभियुक्त को रंजिशवश फंसाने की कोई साक्ष्य नहीं हो, उसकी साक्ष्य के सम्पुष्टिकारक साक्ष्य चाहे चिकित्सकीय साक्ष्य हो की आवश्यकता नहीं है जैसा कि न्यायिक दृष्टांत S. Balaraman v. State, 2009(47) Crimes 8(Mad.). में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि

69– "It is settled law that the victim of sexual assault is not treated as accomplice and as such, her evidence does not require corroboration from any other evidence including the evidence of a doctor. In a given case even if a doctor who examined the victim does not find sign of rape, it is no ground ot disbelieve the sole testimony of the prosecutrix. In normal course a victim of sexual assult does not like to desclose such offence even before her family members much less before public or before the police. The indian woman have tendency to conceal such offence because it involves

her prestige as well as prestige of her family. Only in few cases, the victim girl or the family members have courage to go before the police station and lodge a case."

70— जहां तक अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2024(3) CJ(Cri)(Raj) 1254 Kanhayalal vs State of Rajasthan and 2024 Cr. L. R (Raj) 763 Bhanwar singh vs State of Rajasthan में दिये गये विधिक सिद्धांत का प्रश्न है तो इनमें प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतो से यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है परन्तु जैसा कि उपर विवेचित किया जा चुका है कि अभियुक्तगण द्वारा पीडिता के साथ जबरन सामूहिक बलात्संग किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हुआ है तो न्यायालय के विनम्र मत में तथ्यों की भिन्नता के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांतों से अभियुक्तगण को कोई सहायता नहीं मिलती है, जिनकी प्रति पूर्णतया सम्मान व आदर व्यक्त किया जाता है।

71— अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन से अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 343, 376(डी) भा0दं0सं0 का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है और वह यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण विक्रम सिंह व वीरसिंह ने दिनांक 24.9.2020 को दिन में दोपहर एक बजे के पश्चात किसी समय वाके स्थान मकान राजगढ, शिव प्लेस होटल, जयपुर व नीम का थाना के पास किसी गांव में पीडिता को तीन या अधिक दिनो के लिए निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर उसका सदोष परिरोध किया और अभियुक्तगण ने आपस में मिलकर पीडिता को डरा धमकाकर, उसकी विडियो फिल्म व फोटो दिखा देने की धमकी देकर, उसे जबरदस्ती नशीला पदार्थ खिलाकर/पिलाकर इच्छा व सम्मति के बिना उसके साथ जबरन सामूहिक बलात्संग किया? फलस्वरूप अभियुक्तगण विक्रम सिंह व वीरसिंह उर्फ बंटी को आरोप धारा 343, 376(डी) भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किया जाना सर्वथा न्यायोचित है।

आदेश

72— अतः अभियुक्तगण **विक्रम सिंह** पुत्र महेन्द्र सिंह उम्र 23 साल निवासी सुरतपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू व **वीरसिंह उर्फ बंटी** पुत्र सुमेरसिंह उम्र 36 साल निवासी 3/222 वार्ड न0 4 हाउसिंग कोलोनी सुरतगढ जिला श्री गंगानगर राजस्थान को आरोप धारा 343, 376(डी) भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(**मुनेश चन्द यादव**)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–1
राजगढ (चूरू)

सजा के प्रश्न पर

73— सजा के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तगण लम्बे समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं। वे कम आयु युवा हैं। अतः उनके प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे। जिसका विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया । उनका तर्क है कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः उन्हें कठोर दण्ड से दंडित किया जावे।

74— मेरे द्वारा उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत तथ्यों व तर्कों पर मनन किया गया, पत्रावली तथा संबंधित विधि का अध्ययन किया गया ।

75— पत्रावली के अवलोकन से हालांकि अभियुक्तगण का पूर्व का अपराधिक रेकार्ड होना प्रकट नहीं हो रहा हैं परन्तु न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्तगण पर पीडिता को जबरन बंधक बनाकर विभिन्न स्थानो पर जबरन सामूहिक बलात्कार करने का अपराध प्रमाणित हुआ है, जो गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना सर्वथा न्यायोचित है।

दण्डादेश

76— अतः अभियुक्तगण **विक्रम सिंह** पुत्र महेन्द्र सिंह उम्र 23 साल निवासी सुरतपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू व **वीरसिंह उर्फ बंटी** पुत्र सुमेरसिंह उम्र 36 साल निवासी 3/222 वार्ड न0 4 हाउसिंग कोलोनी सुरतगढ जिला श्री गंगानगर राजस्थान को भा0दं0सं0 की धारा 343, 376(डी) में दोषसिद्ध किए जाने पर निम्न प्रकार से दंडादिष्ट किया जाता है—

क्र0सं0	दोषसिद्ध आरोप	कारावास का दण्ड	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड अतिरिक्त कारावास
1	धारा **343 भा0दं0सं0**	**एक साल** का साधारण कारवास	**10,000** रू0	**एक माह** का साधारण कारावास
2	धारा **376(डी) भा0दं0सं0**	**आजीवन कारावास** (जो उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा)	**1,00,000** रू0	**तीन माह** का साधारण कारावास

77— अभियुक्तगण की सभी मूल सजाएं साथ—साथ चलेंगी। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में गुजारी गई अवधि उनकी मूल सजा से मुजरा की जावेगी। अभियुक्तगण का सजा वारंट बनाया जावे। निर्णय की प्रति अभियुक्तगण को तुरंत निःशुल्क प्रदान की जावे। अपील होने की स्थिति में धारा 437(क) दं0प्र0सं0 के तहत अभियुक्त पांच—पांच हजार रूपये के जमानत मुचलके प्रस्तुत करे।

78— प्रकरण में अभियुक्तगण राहुल उर्फ शुभम व मुकेश कुमार मफरूर है, अतः पत्रावली के मुख पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि पत्रावली का कोई

भी भाग या हिस्सा नष्ट नहीं किया जावे। साथ ही प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत भी सुरक्षित रखा जावे। निर्णय की प्रति, पीडिता को समुचित प्रतिकर दिलवाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरू को प्रेषित की जावे।

(**मुनेश चन्द यादव**)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–1
राजगढ (चूरू)

79– निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(**मुनेश चन्द यादव**)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–1
राजगढ (चूरू)